CDP-पाठ्यक्रम

Date: Page: MONIKA

30 Marks

1. बाल मनोविज्ञान - 10 Marks
2. जीवन कौशल - 10 Marks
3. शिक्षण कौशल - 10 Marks

सुपर TET, UPTET, CTET
By-SATYAM KUMAR
Notes - CDP

STET-Aspirant_SATYAM

* बाल मनोविज्ञान *

1. अधिगम के सिद्धान्त एवं शैक्षिक प्रयोग
2. वैयक्तिक विभिन्नता
3. बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक
4. पठन कौशल का विकास
5. अधिगम हेतु वातावरण का सृजन
6. सीखने की तत्परता की पहचान
7. दिव्यांगों हेतु शिक्षा के विशिष्ट प्रावधान

* जीवन कौशल *

1. जीवन कौशल - अर्थ - परिभाषा एवं प्रकार
2. अभिप्रेरणा
3. दण्ड एवं पुरस्कार अवस्था का प्रभावी प्रयोग
4. शिक्षक की भूमिकाएं "सुविधाप्रदाता, मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता, परामर्शदाता, अनुश्रवणकर्ता"
5. संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य
6. व्यावसायिक आचरण एवं नीति

* शिक्षण कौशल *

1. शिक्षण कौशल अर्थ - प्रकार
2. आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज
3. शिक्षा के नवीन प्रयास (Class-26)
4. समावेशी शिक्षा
5. शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन
6. मापन एवं मूल्यांकन
7. पठन कौशल का विकास (Class-30)

* आधुनिक भारतीय शिक्षा एवं समाज *

Date: Page: MONIKA

* शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं महत्व :-

प्रमुख बिन्दु →

① शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष् धातु में 'आ' प्रत्यय लगाकर बनाया गया जिसका अर्थ है 'सीखना और सिखाना'

② शिक्षा के लिए प्राचीन भारत में विद्या शब्द का प्रयोग भी किया जाता था जो कि संस्कृत भाषा के विद् धातु से बना है जिसका अर्थ है 'जानना' लेकिन यह शब्द अत्यन्त ही संकुचित अर्थ देता है।

③ अंग्रेजी में शिक्षा शब्द Education शब्द का समानार्थी है — तथा Education शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम (Educatum) शब्द से बना है जिसमें दो शब्द है E और duco जिसका अर्थ है 'अन्दर से बाहर की ओर'

* शिक्षा का अर्थ हम दो प्रकार से ले सकते है —

Ⓐ संकुचित अर्थ :- संकुचित अर्थ शिक्षा एक किताबी या विद्यालयी प्रक्रिया है जिसमें छात्र एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय स्थान और अवधि के माध्यम से सीखते है।

Ⓑ शिक्षा का व्यापक अर्थ :- व्यापक अर्थ में शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी पूरी नहीं होती है और आजीवन चलती है यह समाज, घर, मित्रो आदि द्वारा की जाती है।

* शिक्षा के प्रकार :- शिक्षा के मुख्यतः तीन प्रकार माने गये है।

① औपचारिक शिक्षा (Formal Education) → ऐसी शिक्षा जिसका पाठ्यक्रम, विषयवस्तु, स्थान, शिक्षक आदि निश्चित हो जैसे - विद्यालय

② अनौपचारिक शिक्षा (Informal Education) → ऐसी शिक्षा जहाँ विषयवस्तु पाठ्यक्रम एवं स्थान निश्चित न हो जो निरंतर चलती हो जैसे - माता-पिता या समाज द्वारा दी गयी शिक्षा या परिवेश द्वारा शिक्षा

③ निरौपचारिक शिक्षा (Non formal Education) → ऐसी शिक्षा जिसमें उपरोक्त दोनो प्रकारो का मिश्रण हो - जैसे 'पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा'

* शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं :-

रूसो के अनुसार - सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य के अन्दर से प्रस्फुटित हो।

अरस्तु के अनुसार - स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार - शिक्षा मनुष्य की निहित जन्म जात एवं मानसिक शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति है।

स्पेन्सर के अनुसार - शिक्षा सम्पूर्ण जीवन है।

पेस्टॉलॉजी के अनुसार - शिक्षा मनुष्य में निहित आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सांमजस्य पूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है।
काण्ट के अनुसार - शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास जिसकी उसे इच्छा है।
महात्मा गांधी के अनुसार - शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है।
जॉन डीवी के अनुसार - शिक्षा का अर्थ व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास करने से जो उसे वातावरण पर नियंत्रण करना सिखाती है और उसमें निहित संभावनाओं को पूर्ण करने का अवसर देती है।
जैन दर्शन के अनुसार - शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराये
बौद्ध धर्म " - शिक्षा वह प्रक्रिया है जो निर्वाण प्राप्त कराये

[शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास]

① * मनोविज्ञान की तरह शिक्षा मनोविज्ञान भी एक अत्यंत नया विषय है तथा अपनी शैशवावस्था में है।
② * आप हम इस विषय की उत्पत्ति एवं इतिहास से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात
③ * मनोविज्ञान की तरह शिक्षा मनोविज्ञान भी प्राचीन चुनान से जुड़ा होता है फिर भी इस समय यह अपने आप में कोई अलग विषय न थेकर एक भाग के रूप में दर्शन शास्त्र से जुड़ा था।
④ * अगर देखा जाये तो प्लेटो ने प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा आदि के पाठ्यक्रम भी रचना बतायी है।
⑤ * आगे आने पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यन्त सराहनीय कदम उठाये गये।
⑥ * इसमें एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पेस्टालॉजी नाम को भी लिया जायेगा जिन्होंने लगभग तीन दशकों बच्चे के विकास एवं शिक्षा का अध्ययन करके शिक्षा मनोविज्ञान को एक नयी दिशा दी है इसी लिए पेस्टालॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते है
⑦ * अगर देखा जाये तो कई विद्वान रूसो को पहला आधुनिक शिक्षाशास्त्री मानते है क्योंकि उनके द्वारा ही बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी गयी तथा उन्होंने ही शिक्षा में बालक की वरीयता देने की बात कही है।
⑧ * पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा में किण्टर गार्टेन प्रणाली एवं मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तकों फ्रॉबेल एवं मारिया मोंटेसरी का नाम भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
⑨ * वैसे देखा जाये तो 1891 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक (स्टेनले हॉल) के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधार शिला रखी गयी।

⑩ * कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 से मानते है, जब ऑस्ट्रिया के 'फ्रायड' के नेतृत्व मे मनोविश्लेषणवाद को प्रसिद्धि मिली तथा बाल केंद्रित शिक्षा पर फ्रायड द्वारा जोर दिया गया इसी वर्ष मे अमेरिका के शिक्षा मनोवैज्ञानिको का एक नेशनल टीचर असोसिएशन बनाया गया

Point

⑪ * लेकिन अगर वास्तव मे देखा जाये तो शिक्षा मनोविज्ञान को असली पहचान दिलाने का कार्य 'थॉर्नडाइक' की 1920 मे प्रकाशित पुस्तक 'एजुकेशन साइकोलॉजी' मे किया और इसी वजह से ज्यादातर विद्वान शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत 1920 से मानते है तथा थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।

* शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषा →

① स्टीफन के अनुसार – शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है।

② क्रो एवं क्रो – शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवो का वर्णन एवं व्याख्या करता है।

③ स्किनर के अनुसार – शिक्षा मनो विज्ञान अध्यापको की तैयारी की आधारशिला है।

④ कॉलसनिक के अनुसार – मनोविज्ञान के परिणामो एवं सिद्धान्तो को शिक्षा के क्षेत्र मे प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है।

⑤ ब्रो के अनुसार – शैक्षिक परिस्थियो के मनोवैज्ञानिक पक्षो का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है

⑥ बी॰ एन॰ झ – शिक्षा मनोविज्ञान की सफलता पूरी तरह से मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है।

* **वैदिक कालीन शिक्षा** — ① यह निःशुल्क शिक्षा थी जो गुरुकुलों में दी जाती थी।
② गुरुकुल शहर की भीड़-भाड़ से दूर किसी एकान्त स्थान पर बने होते थे।
③ शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी।
④ शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी।
⑤ शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में **विद्यारम्भ संस्कार** से दी जाती थी जहाँ बालक घर पर ही अपने बाल मुँडवाकर कुल पुरोहित के मार्गदर्शन में शुद्ध माटी पर लेखन का अभ्यास शुरू करता था।
⑥ इसके आगे की शिक्षा या **उच्च शिक्षा** के लिए छात्रों को **गुरुकुल** में प्रवेश लेना होता था जिसके लिए '**उपनयन संस्कार**' किया जाता था। उपनयन का अर्थ है समीप लेजाना अर्थात गुरु के नजदीक लेजाना।
⑦ 'उपनयन संस्कार' की उम्र 6 से 8 वर्ष थी
⑧ गुरुकुल में रहने वाले छात्रों को **कुलवासी, अंतःवासी, द्विज या ब्रह्मचारी** आदि नामों से जाना जाता था।

* **उपनयन संस्कार** (करने) के बारे में निम्न लिखित तथ्य ध्यान देने योग्य है —

उपनयन संस्कार	ब्राह्मण	क्षत्रिय	वैश्य
ऋतु	वसंत	ग्रीष्म	शरद
उम्र	6 से 8 वर्ष	11 वर्ष	12 वर्ष
उपरी वस्त्र	काले हिरन की छाल	धब्बेदार हिरन की छाल	बकरे की छाल
मंत्र	गायत्री मंत्री	त्रष्टुप	जगती मंत्र

⑨ वेदों के अध्ययन पर खास जोर दिया जाता था। क्योंकि एक 1 वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इस लिए वैदिक कालीन शिक्षा की सामान्य अवधि 12 वर्ष थी।
एक वेद के ज्ञाता को - स्नातक
दो वेद के ज्ञाता को - वसु
तीन वेद के ज्ञाता को - रूद्र
चार वेद के ज्ञाता को - आदित्य
कहा जाता था।
⑩ गुरुकुल की दिनचर्या अत्यंत ही नियंत्रित थी जिसमें ब्रह्म मूहूर्त में उठना नित्य क्रिया से निवृत होना गुरु की सेवा करना भिक्षाटन करना आदि शामिल थे।
⑪ गुरुकुल शिक्षा में अनुशासन का अर्थ डराना या मारना न होकर खुद पर खुद से नियंत्रण करना था।
⑫ गम्भीर गलती हो जाने पर उपवास जैसे दण्ड दिये जाते थे जैसे **इड़ालक** जो लगातार तीन महीने तक चलता था।

(13) सामान्यतः गुरुकुल शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की जिसके बाद छात्र गुरु का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट सकता था इस प्रक्रिया को समावर्तन संस्कार के नाम से जानते है

(14) शिक्षा के दो प्रकार थे परा या धार्मिक शिक्षा, अपरा या सांसारिक शिक्षा

(15) गुरुकुल मे कक्षा नायकीय पद्धती का प्रचलन था अर्थात गुरु के आश्रम मे न होने पर कक्षा के सबसे योग्य शिष्य को कक्षा मे पठन पाठन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी।

(16) वैदिक कालीन शिक्षा मे स्त्री शिक्षा की दशा बहुत बेहतर थी, जैसे - गार्गी, अपाला घोषा जैसी विदुषी स्त्रिया इस परंपरा का उत्तम उदाहरण है।

(17) परिक्षाएँ मौखिक थी अगली कक्षा मे जाना गुरु के निर्णय पर निर्भर था।

(18) शिक्षण विधि मे अनुकरण, रटना, मनन, तथा वाद-विवाद विधि पर जोर था।

(19) गुरुकुल मे कोई फीस नही ली जाती थी बल्कि भिक्षाटन धनी लोगो द्वारा दिया गया दान राजा द्वारा दिया गया दान तथा समावर्तन संस्कार के दौरान दी गयी गुरुदक्षिणा ही गुरुकुल के आय के प्रमुख साधन थे।

(20) गुरु एवं शिष्य के बीच पिता-पुत्र जैसा सम्बन्ध था।

* बौद्धकालीन शिक्षा :-

① बौद्ध कालीन शिक्षा को हम पहली समावेशी शिक्षा कह सकते है क्युकि इसमे वर्ण अवस्था के लिए को स्थान नही था। शिक्षा कोई भी ग्रहण कर सकता था

② शिक्षा का ~~केंद्र~~ केंद्र बौद्ध मठ थे जिनका मुख्यालय बौद्ध संघ था जिसके अंतर्गत सभी मठ आते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी।

③ शिक्षा की शुरुआत प्रवज्या संस्कार से होती थी जिसकी उम्र सभी के लिए लगभग 6 वर्ष थी

④ प्रवज्या शब्द पाली भाषा के पब्बज्जा शब्द से निकला है जिसका अर्थ है बाहर ले जाना, अर्थात घर से बाहर शिक्षा हेतु मठो मे ले जाना।

⑤ इस संस्कार के दौरान बालक अपने सिर के बाल मुंडवाकर गुरु के सामने जाकर तीन व्रत या शरण त्रयी की कसमे खाता था।

प्रमुख तीन कसमें → (a) बुद्धं शरणं गच्छामि
(b) धम्मं शरणं गच्छामि
(c) संघं शरणं गच्छामि

⑥ शरण त्रयी के बाद ही छात्र को प्रवेश दिया जाता था मठो मे रहकर शिक्षा लेने वाले छात्रो को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। जबकि शिक्षकों को उपाध्याय। लैटिन शब्द उपाध्यिपाय कहा जाता था।

⑦ बौद्ध कालीन शिक्षा को दो भागों में बाँटा गया था प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा जिसमें प्राथमिक शिक्षा तो निःशुल्क थी लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कुछ शुल्क लिया जाता था।

⑧ प्राथमिक स्तर पर पठन एवं लेखन की शुरुआती शिक्षा देने के लिए सिद्धरस्तु नामक पोथी पढ़ायी जाती थी जिसमें कुल 49 अक्षर / वर्ण होते थे।

⑨ शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी, लेकिन बाद में पालि भाषा का उपयोग भी हमें को मिलता है।

⑩ शिक्षा के वैदिक कालीन शिक्षा की तरह बौद्ध कालीन शिक्षा में भी दो प्रकार थे लौकिक एवं पारलौकिक

⑪ बौद्ध कालीन शिक्षा में शुरुआत में स्त्री शिक्षा पर मनाही थी बाद में स्त्री शिक्षा को अनुमति दी गयी और यही बौद्ध मठों के पतन का कारण बनी

⑫ शिक्षा की सामान्य अवधि 12 वर्ष थी जिसके बाद छात्र अपने घर वापस लौटकर सामान्य जीवन जी सकता था। या आगे बौद्ध भिक्षु बनने की शिक्षा ले सकता था जिसके लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य था।

⑬ शरण त्रयी के अलावा भी मठ में रहने वाले छात्रों को 10 वचन लेने होते थे जिसे दश सिक्खा पदानि कहते थे। जो निम्न लिखित हैं

⑭ 10 वचन →

① अहिंसा (हिंसा न करना)
② सत्यवादिता
③ शुद्ध आचरण
④ सही मात्रा में भोजन
⑤ मादक पदार्थों से दूर रहना
⑥ निद्रा न करना
⑦ सादगी भरा जीवन व्यतीत करना
⑧ नृत्य तमाशे आदि से दूर रहना
⑨ दूसरे की वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति के न लेना
⑩ धन में कीमती वस्तु जैसे - हीरे-जवाहरात न लेना

⑮ अगर कोई छात्र अपने घर न लौटकर बौद्ध भिक्षु बनने की शिक्षा लेना चाहता था तो उसके उपसम्पदा संस्कार किया जाता था।

⑯ बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्य बही खाता के ज्ञान होने के साथ-2 बौद्ध धर्म के तीन ग्रन्थों - अभि धम्म पिटक, सुत्त पिटक, तथा विनय पिटक का ज्ञान होना भी आवश्यक था।

* मुस्लिम कालीन शिक्षा :-

① मुस्लिम कालीन शिक्षा से हमारा अर्थ उस शिक्षा से है जो दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में दी गयी।

② यह शिक्षा निश्चित ही निःशुल्क थी, लेकिन धीरे-2 शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण भारी होने लगा

③ शिक्षा की शुरुआत 'बिस्मिल्लाह खानी संस्कार' से होती थी जिसकी न्यूनतम उम्र 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन थी।

④ इस संस्कार के दौरान नया छात्र या शारीरिक नये वस्त्र धारण करके शिक्षक मौलवी उस्ताद के सामने बैठ जाता था तथा शिक्षक उसे कुछ कुरान की लाइने या आयतें दोहराने के लिए कहता था।

⑤ अगर छात्र इन आयतों को दोहरा नहीं पाता था तो बिस्मिल्लाह शब्द कह देना ही काफी था जिसका अर्थ था 'अल्लाह के नाम पर'।

⑥ अन्य कालों की तरह मुस्लिम कालीन शिक्षा भी दो भागों में विभाजित थी जिसे हम प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कह सकते हैं।

⑦ प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र मकतब तथा उच्च शिक्षा के केन्द्र मदरसे कहलाते थे।

⑧ मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से निकला है जबकि ~~मदरसा~~ जिसका अर्थ है पढ़ना लिखना जबकि 'मदरसा' शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है व्याख्यान देना।

⑨ मकतब और मदरसे प्रायः मस्जिदों से जुड़े होते थे

⑩ शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी जबकि राज्य में नौकरी पाने के लिए अरबी भाषा का ज्ञान होना जरूरी था।

⑪ शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लिखने और पढ़ने पर काफी जोर दिया जाता था तथा कई बार तो बिना समझे भी रट्टा मारने पर जोर दिया जाता था।

⑫ समझ विकसित करने के लिए शेखसादी की पुस्तकें ~~गु~~ गुलिस्ताँ एवं बोस्ताँ पढ़ायी जाती थी

⑬ कई बार धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुरान की आयतें बिना समझे ही रटवा दी जाती थी।

⑭ इसके अलावा लेखन, सामान्य गणित तथा अर्जीनवीसी आदि भी सिखाया जाता था

⑮ मुस्लिम कालीन शिक्षा में सुन्दर लिखावट या सुलेख पर भी जोर दिया जाता था

⑯ इस काल में भी शिक्षा सांसारिक और धार्मिक दो भागों में विभाजित की गयी।

⑰ पर्दा-प्रथा होने के कारण स्त्री शिक्षा की दशा बेहतर नहीं थी फिर भी राजघरानों के लोग अपने घर की औरतों को शिक्षित करने के लिए निजी मौलवी भी बुलाया करते थे।

⑱ इस काल की शिक्षा में अनुशासन का गहरा महत्व था तथा गलती करने पर छात्र को बेतों से मारना, मुर्गा बनाना या कोड़े से मारना जैसे दण्ड दिये जाते थे।

⑲ जो छात्र पढ़ने में मेधावी होते थे उन्हें छात्रवृत्ति, निःशुल्क आवास तथा पढ़ने के लिए सामग्री आदि दी जाती थी।

⑳ इस काल में मौलवियों, इस्लामी समाज में अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त था तथा इसके अलावा उन्हें मोटी तनख्वाह भी दी जाती थी।

㉑ इस काल में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अलग विद्वानों के लिए अलग-2 उपाधियां दी जाती है। —

जिसमें से कुछ प्रमुख उपाधियाँ निम्नलिखित है। —

① इस्लामिक धर्म ग्रन्थों में निपुण या ज्ञानी = आमिल कहते थे।
② अरबी-फारसी साहित्य में निपुण - = कामिल
③ तर्क शास्त्र में निपुण = फाजिल
④ गणित में पारंगत या निपुण = रियाजी

* ब्रिटिश कालीन शिक्षा :-

① भारत में पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत 'ईसाई मिसनरियों' के प्रयास से हुयी जिनका मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार जो वास्तव में शिक्षा की आड़ में किया गया।
② भारत में सबसे पहले शिक्षा देने का कार्य इन मिशनरियों ने शुरू किया
③ भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रान्ट को माना जाता है जिन्होंने भारत में अंग्रेजी विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए एक पंचसूत्री कार्यक्रम तैयार किया
④ विलियम कैरी, वार्ड एवं मार्शमैन को सीराम पुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है जो ईसाई धर्म के प्रचार की शिक्षा के बहाने फैलाने के लिए कुख्यात थे।
⑤ (1781) में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गयी
⑥ (1791) में जॉनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गयी।
⑦ (1800) में लॉर्ड वेलेजली द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
⑧ (1821) में पूना के रेसिडेन्ट माउन्ट स्टुअर्ट एलफिस्टन द्वारा पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गयी जो वास्तव में संस्कृत कॉलेज जैसा ही था।

* (1813) का आज्ञापत्र :- चार्टर एक्ट (1813)

① भारत का शासन वास्तव में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथों में था जिसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था।

(2) लेकिन 1813 के आज्ञापत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की बहाली देने के लिए एक लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गयी।

(3) इस एक लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान इस आज्ञा पत्र की धारा 43 में था। जिसमें लिखा था। कि यह धनराशि भारतीय साहित्य एवं भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए खर्च की जायेगी।

(4) लेकिन धारा 43 में वर्णित भारतीय साहित्य एवं भारतीय विद्वान शब्द स्पष्ट न होने के कारण जो विवाद उत्पन्न हुआ उससे प्राच्य - पाश्चात्य विवाद कहा गया

* (1833) का आज्ञापत्र (Charter Act of 1833) :-

(1) शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि एक लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गयी

(2) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा में एक अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया जो कि एक कानून सदस्य (Law Member) जोड़ा गया

*** मैकाले का विवरण पत्र :- प्राच्य-पाश्चात्य विवाद पर

(1) 10 June 1834 को मैकाले भारत पहुँचा

(2) अब तक प्राच्य-पाश्चात्य विवाद से जुड़ा मुद्दा काफी विवादास्पद स्थिति में पहुँच गया था।

(3) तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इस मुद्दे को सुलझाने का कार्य मैकाले को सौंपा।

(4) मैकाले ने 1813 के आज्ञापत्र की धारा-43 का गहन अध्ययन किया और उसने [2 फरवरी 1835] को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र विलियम बेंटिंग को प्रस्तुत किया

विवरण पत्र मुख्य बातें :-

(1) 1813 के आज्ञा पत्र की धारा-43 में वर्णित धनराशि को गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से खर्च कर सकता है

(2) भारतीय साहित्य का अर्थ सिर्फ संस्कृत या अरबी साहित्य से ही नहीं है अपितु अंग्रेजी एवं पश्चिमी भाषाओं के साहित्य से भी है।

(3) भारतीय विद्वानों में सिर्फ संस्कृत के पंडित या अरबी / फारसी के मौलवी ही नहीं आते अपितु अन्य भारतीयों को भी शामिल किया जायेगा जिन्होंने पाश्चात्य विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल की है।

प्रमुख सुझाव —

① प्राच्य साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा वास्तविकता से परे कल्पना प्रधान है। इस लिए इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए।

② पश्चिमी साहित्य उन्नत है तथा पश्चिमी देशों में विज्ञान विषय में प्रामाणिक एवं तार्किक ज्ञान मौजूद है इस लिए इसे शिक्षा में लागू ही जाये।

③ मैकाले ने बड़े ही व्यंगात्मक अंदाज में कहा कि यूरोपियन साहित्य की एक आलमारी भी सम्पूर्ण प्राच्य साहित्य पर भारी है।

④ मैकाले के विवरण पत्र की सबसे बड़ी माँग यह थी कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये इसके पक्ष में मैकाले ने निम्नलिखित तर्क दिये।

* अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने हेतु मैकाले के तर्क →

① भारत में बहुभाषिकता है और भाषायें अल्प विकसित हैं।

② अभी भी भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है।

③ राजा राममोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए तैयार थे।

④ भारत में अंग्रेजी शासकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है।

⑤ अंग्रेजी में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का भण्डार है।

* मैकाले की शिक्षा नीति →

① मैकाले ने कहा कि कम्पनी अभी इस हालत में नहीं है कि भारत के सभी लोगों को शिक्षा दे सके

② इसलिए कम्पनी कुछ चुनिन्दा उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षित करने का कार्य करे

③ और इन उच्चवर्ग के शिक्षित लोगों से शिक्षा छन-2 कर छनकर निम्न वर्ग को शिक्षित करेगी।

④ मैकाले की यह शिक्षा नीति छनाई का सिद्धान्त / छननीकरण का सि० / निस्यंदन का सि० / अधोगामी निस्यंदन नीति के नाम से जानी जाती गयी इसको अंग्रेजी में (Downward Filtration Theory) कहते हैं।

* मैकाले विवरण पत्र के परिणाम →

① इस विवरण पत्र के प्रस्तुत होने के लगभग एक महीने बाद विलियम बेंटिंग ने इस विवरण पत्र की व्यापक सिफारिशों को 7 मार्च 1835 को स्वीकृति दे दी

② शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा मान लिया गया
③ और यह घोषणा की गयी की अब आगे से कम्पनी भारतीय भाषाओं की पुस्तकों या साहित्य और विज्ञान के प्रोत्साहन में कोई भी धनराशि खर्च नहीं करेगी।

[प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत]

① (1813) में उपजा प्राच्य-पाश्चात्य विवाद 26 वर्षों बाद 1839 में समाप्त हुआ जब तत्कालीन गवर्नर-जनरल ऑकलैंड ने 31 हजार धनराशि अलग से प्राच्यवादियों को आवंटित की।

[वुड का घोषणा पत्र]

① अध्यक्ष – (चार्ल्स वुड)
② तिथि – (19 जुलाई 1854)
③ उपनाम – भारतीय शिक्षा का (मैग्नाकार्टा या परमादेश)
④ चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे।
⑤ विस्तार – 100 अनुच्छेद

* प्रमुख सुझाव :–

① भारत में चुनाई। छनीकरण की नीति पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।
② शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर भारतीय भाषाओं को बनाया जाये।
③ कम्पनी भारतीयों की शिक्षा का भार वहन करे इससे भागा नहीं जा सकता है।
④ भारत में श्रेणी बद्ध कॉलेजों की स्थापना की जाये जिसमें प्राथमिक, मिडिल हाईस्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हों।
⑤ लन्दन विश्वविद्यालय को मानक मानकर भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाये।
⑥ भारत में प्रान्त स्तर पर जन शिक्षा विभाग (Public Instruction Department) की स्थापना की जाये जिसका सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा संचालक होगा।
⑦ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को वरीयता दी जाये और अंग्रेजी माध्यम का प्राथमिक स्तर पर चयन करना स्वेच्छा की बात हो इसके लिए दबाव न डाला जाये।
⑧ उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए वुड के घोषणा पत्र में कुछ नहीं कहा गया है अर्थात उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही रहने दिया गया।

⑨ भारत में नये विद्यालय खोलने के बजाय पहले से चल रहे विद्यालयों को सघपता अनुदान राशि (Grant in Aid) दी जाये जिससे शिक्षकों का वेतन, भवन निर्माण, पुस्तकालय आदि की स्थापना करने जैसे - कार्यों में विद्यालयों को सघपता दी जा सके।

⑩ मुस्लिम एवं स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से प्रयास किये जाये।

⑪ भारतीयों को प्राथमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाये

⑫ भारत में कुशल शिक्षकों का अभाव देखते हुए इंग्लैण्ड की तरह शिक्षकों शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

⑬ इस घोषणा पत्र में भारत को राष्ट्रीय स्तर पर सिक्षित करने की बात की गयी और इस लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए ~~निम्न लिखित निर्णय लिये गये~~

① प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाये

② निजी प्रयासों अर्थात देशी विद्यालयों एवं इसाई मिशनरियों के प्रयासों को वरीपता दी जाये।

③ शिक्षा में मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाय

④ निस्पंदन छनाई नीति बन्द की जाये

⑤ भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में वरीपता दी जाये।

महत्वपूर्ण प्रश्न

* ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किस किस में होता था [वसंत]
* चारो वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं [आदित्य]
* बौद्ध धर्म में सिक्खापद पुस्तक में उल्लेखित कितने अंग हैं। [4]
* मुस्लिमकालीन शिक्षा में शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी [बिस्मिल्लाह खानी]
* भारतीय शिक्षा के लिए '1 लाख' रु की धनराशि कब रखी गयी [1813 आज्ञापत्र]
* मैकाले के सिद्धान्त को किस नाम से जानते हैं [निस्यंदन / छननीकरण सिद्धान्त]
* वैदिककालीन शिक्षा में घर वापस लौटने का संस्कार क्या था [समावर्तन संस्कार]
* बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षु को क्या कहा जाता है [श्रमण या सामनेर]
* मकतबों में किस स्तर की शिक्षा दी जाती थी [प्राथमिक स्तर]
* 1813 के आज्ञापत्र की किस धारा में 1 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की (धारा 43)
* मुस्लिम कालीन शिक्षा में तर्कशास्त्र में निपुण व्यक्ति को क्या कहा जाता था (काफिल)
* वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का शुरुआती संस्कार कौनसा था (विद्यारम्भसंस्कार)
* वुड के घोषणा पत्र का उप नाम क्या है (भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा)
* वुड का घोषणा पत्र कब लाया गया (19 जुलाई 1854)
* मैकाले ने अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया (2 फरवरी 1835)
* भारत में कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना इंग्लैण्ड के किस विश्वविद्यालय से मानक मानकर किया गया (लन्दन विश्वविद्यालय)
* फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की (1800 ई०)
* प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ (1813 के आज्ञापत्र धारा 43वें)
* साक्षरता अनुदान राशि की शुरुआत किसने की (चार्ल्स वुड)
* मदरसा शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से निकला है (दरस शब्द)
* बौद्धकालीन शिक्षा में बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए कौनसा संस्कार होता था (उपसंपदा सं०)
* प्रव्रज्या संस्कार के दौरान कितने प्रण लेने पड़ते थे। (तीन प्रण)
* इण्टर कमीशन कब लाया गया (3 फरवरी 1882)
* कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की (वॉरेन हेस्टिंग्स)

S

[हंटर कमीशन]

① गठन - (3 फरवरी 1882)
② सदस्य - 20
③ अध्यक्ष - विलियम हंटर
④ उपनाम - भारतीय शिक्षा आयोग / भारत का पहला शिक्षा आयोग
⑤ विस्तार - 600 पेज / 220 धाराएं

* प्रमुख सिफारिशें :-

① सरकार प्राथमिक शिक्षा को निम्नेधी स्थानीय निकायों पर छोड़ दे तथा उच्च शिक्षा को निम्नेधी भारतीयों एवं अन्य संगठनों पर छोड़ दी जाये
② सहायता अनुदान राशि को लेगातार मोट भी अनुकूल बनायी जाये तथा यह अनुदान राशि सभी विद्यालयों को समय से दी जाये
③ सहायता अनुदान राशि पाने संबन्धी मानकों के नियमों से स्कूलों के प्रधानाचार्य को परिचित कराया जाये।
④ विद्यालयों को सहायता अनुदान राशि देने से पहले विद्यालय का निरीक्षण किया जाये
⑤ सहायता अनुदान राशि अलग-2 कार्यों के लिए दी जाये
⑥ प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों उठायें तथा खर्चा वसूल करने के लिए वे कर लगा सकते है इसके अलावा प्रांत सरकारें भी कुल खर्चे का 1/2 या 1/3 भाग स्थानीय निकायों को दे।
⑦ पाठ्यक्रम तय करने की निम्नेधी राज्यों / प्रान्तों को दी जाये जिसमें पशुपालन मछली पालन, चिकित्सा, वही खाता कृषि जैसे विषय सभी राज्यों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है।
⑧ पिछड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा के लिए अलग से प्रयास किये जाये
⑨ सहायता अनुदान राशि देने में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं के स्कूलों एवं भारतीय पाठशालाओं के बीच कोई भेद-भाव न किया जाये।

* माध्यमिक शिक्षा के सुझाव :-

① माध्यमिक शिक्षा को निम्नेधी भारत में बनी संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं पर छोड़ दी जाये तथा सरकार वही माध्यमिक विद्यालय स्थापित करे जहाँ निजी प्रयास शून्य है।

② माध्यमिक शिक्षा में दो तरह के पाठ्यक्रम शामिल किये जाये
ग्रेड (A)- साहित्यिक पाठ्यक्रम — यह पाठ्यक्रम ऐसे लोगो के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद विश्व विद्यालयों में प्रवेश लेंगें।
ग्रेड (B)- व्यावसायिक पाठ्यक्रम — यह पाठ्यक्रम ऐसे छात्रो के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद रोजगार पाना चाहते हो।

* उच्च शिक्षा के लिये सुझाव :-
① उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी भी भारतीयो एवं निजी संगठनो पर छोड़ दी जाये तथा सरकार वही पर माध्यमिक स्थापित करे, जहाँ निजी उद्यम शून्य हो
② विश्व विद्यालयों में अध्यापको की नियुक्ति करते समय ऐसे भारतीयो को वरीयता दी जाये जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त हो।
③ उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी दीरघा जाये
④ अर्थाभाव से पददलित जातियों आदिवासियों पिछड़ी जातियों आदि की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही।

* लॉर्ड कर्जन एवं उसके शैक्षिक सुधार :-
① कर्जन को हम शैक्षिक इतिहास में उसके कई क्रान्तिकारी सुधारों के लिए जानते है।
② कर्जन के शैक्षिक सुधार मुख्यतः उच्च शिक्षा से ही जुड़े है तथा विश्व विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कर्जन द्वारा किये गये सुधार सराहनीय है जिनकी अब हम चर्चा करेंगे

Ⓐ शिमला शिक्षा सम्मेलन →
① कर्जन ने 1901 में शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया तथा उसमें उसने एक के बाद एक लगभग शिक्षा से जुड़े 150 प्रस्ताव पारित कर दिया क्योंकि इस सम्मेलन में किसी भारतीय को नही बुलाया गया था इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे गोपनीय शिक्षा सम्मेलन भी कहते है।

Ⓑ भारतीय विश्व विद्यालय आयोग → या (रैले आयोग)
① कर्जन को मुख्यतः विश्व विद्यालय आयोग के गठन के लिए जाना जाता है जो 1902 में गठित किया गया —
अब हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिसके लिए इस आयोग का गठन किया गया
(1) विश्व विद्यालयों में शिक्षण कार्य / शोध कार्य नही होता था तथा इनका ज्यादातर समय महाविद्यालयों को संबद्धता या मान्यता प्रदान करने में जाता था जिसमें अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त था।

② सीनेट क्यों कि विश्व विद्यालयों की प्रशासनिक संस्था थी, इसमें धनी लोगों को सदस्य बनाया जाता था। तथा इसमें शिक्षकों एवं विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मचा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था।

③ विश्व विद्यालय में ज्यादातर समय मान्यता देने या माध्यमिकालयों के परीक्षण आदि की नियमावली बनाने में चला जाता था।

④ माध्यमिकालयों में योग्य शिक्षकों का अभाव था। क्योंकि इनके चयन का कोई मानक नहीं था।

✓ ⑤ इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को एक आयोग गठित किया जिसके अध्यक्ष थॉमस रेले थे।

सिफारिशें :-
रैले आयोग ने भी एक वर्ष से भी ज्यादा समय लिया फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जिन्हें हम दो भागों में बाँट सकते हैं। —
① विश्व विद्यालय के लिए सुझाव
② माध्यमिकालयों के लिए सुझाव

(i) विश्व विद्यालयों के लिए सुझाव :-
① सीनेट के सदस्यों की संख्या घट दी जाये तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया जा
② प्रत्येक वर्ष सीनेट के 20% सदस्य नये चुने जायें तथा इसमें शिक्षकों एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाये।
③ सिण्डीकेट के सदस्यों की सं० 9 से 15 कर दी जाये तथा विश्वविद्यालयों को इनके नियंत्रण की जिम्मेदारी दी जाये
④ प्रत्येक विश्व विद्यालय की सीमा निश्चित की जाये
⑤ विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं शोध कार्य भी शुरू किया जाये
⑥ विश्वविद्यालयों में शिक्षण हेतु उच्च योग्यता वाले लोगों को ही वरीयता दी जाये

(ii) माध्यमिकालयों के लिए सुझाव :-
① प्रत्येक माध्यमिकालय में प्रबन्धन के लिए एक प्रबंध कारिणी समिति बनायी जाये
② माध्यमिकालयों की फीस निश्चित करने का कार्य सिण्डीकेट को दिया जाये
③ माध्यमिकालयों को तभी मान्यता दी जाये जब इनमें योग्य शिक्षक, भवन पुस्तकालय आदि सुविधायें मौजूद हों।
④ जिन माध्यमिकालयों में वर्तमान में ऐसी सुविधायें न हों उनकी मान्यता रद्द कर दी जाये।

Note सिण्डीकेट - अर्थ - विश्वविद्यालयों के कार्यों को नियंत्रण करने वाली बॉडी है।
↳ महाविद्यालयों का निरीक्षण करना।
सीनेट - अर्थ - सीनेट वह मुख्य सत्ता थी University की चलती थी प्रशासनिक बॉडी थी

Date:

⑤ महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से विश्वविद्यालयों में होनी चाहिये
⑥ महाविद्यालयों में सिर्फ स्नातक की कक्षायें हो।
⑦ वर्तमान में मैट्रीकुलेशन (हाईस्कूल) का स्तर ऊँचा किया जाये तथा वर्तमान इण्टरमीडिएट की कक्षा को स्नातक से पोस्ट स्नातक को 2 वर्ष का किया जाये

* विश्व विद्यालय 1904 :-
① रैले आयोग की सिफारिशों को कर्जन ने केन्द्रीय धारा सभा के सामने रखा।
② 21 मार्च 1904 को इनमें से प्रायः सिफारिशों को मंजूरी मिल गयी और यह अधिनियम 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904' के नाम से जाना गया।
③ तथा इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न लिखित है। —
Ⓐ किसी भी विश्व विद्यालय की सीनेट में कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 सदस्य होंगे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
Ⓑ प्रत्येक विश्वविद्यालयों में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होंगें जिनकी संख्या कलकत्ता मद्रास तथा बम्बे विश्वविद्यालय में कम से कम 20 तथा अन्य विश्वविद्यालयों में कम से कम 15 होगी।
Ⓒ महाविद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करने संबंधी नियम और कठोर बनाये जाये तथा महाविद्यालयों की निगरानी का कार्य सिण्डीकेट को दिया जायें।
Ⓓ विश्व विद्यालयों का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाये तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं शोध कार्य भी शुरू किया जाये।

* [गोखले विधेयक 1911] *

① 20वी शदी की शुरुआत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की माँग जोर पकड़ रही थी।
② इसके लिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जिससे स्त्री के लिए शिक्षा प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध हो सके
③ इसके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का विधेयक लाना आवश्यक था।
④ भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के 1906 वें के अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेन्ट ने भी इसकी मांग रखी थी।
⑤ क्योंकि अगर 1910 की बात की जाये तो उस समय कुल जन संख्या का 6% भाग ही शिक्षित था।

* प्रमुख बिंदु :-

① गोखले का यह विधेयक मुख्यतः बड़ौदा के महाराजा सैयाजी गायकवाड से प्रेरित था जिन्होंने अपने राज्य में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू कर दिया था।

② गोखले भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के एक सक्रिय सदस्य होने के अलावा 'फर्ग्युसन कॉलेज पुना' के प्रधानाचार्य भी थे।

③ इसके अलावा वे इम्पीरियल की केंद्रिय धारा सभा के स्थायी सदस्य भी थे।

④ गोखले के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कुल मौजूद छात्रों की सिर्फ 33% संख्या ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पाती थी।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ :-

① यह विधेयक 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए था।

② इसमें अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा से आने वाले खर्च को स्थानीय एवं प्रांतीय सरकारों के बीच 1:2 में बाँटा जाना था।

③ राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग खोला जाये तथा प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु एक शिक्षा सचिव नियुक्त किया जाये। —

④ 16 मार्च (1911) को गोखले का यह महत्वाकांक्षी विधेयक केंद्रिय धारा सभा में प्रस्तुत किया गया।

⑤ इस विधेयक के पक्ष में 13 मत जबकि विपक्ष में कुल 38 मत पड़े तथा ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया कि अभी भी सरकार भारत में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की स्थिति में नहीं है।

विधेयक प्रभाव :-

① भले ही यह विधेयक अस्वीकार कर दिया गया लेकिन राष्ट्रीय स्तर एक शिक्षा प्रणाली की माँग लगातार उठती रही।

② यह इस विधेयक का ही प्रभाव था कि (1913) के शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी तथा एक प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु एक शिक्षा सचिव भी नियुक्त हुआ।

③ यह गोखले के बिल का ही प्रभाव था। कि जब 1912 में ब्रिटेन राजा जार्ज पंचम भारत आये तो उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 50 लाख रु की धनराशि आवंटित किया।

[कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919)]

① वुड के घोषणा पत्र द्वारा तीन विश्व विद्यालयों की स्थापना की गयी जिनमें कलकत्ता मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय शामिल है।

② इसमें कलकत्ता विश्व विद्यालय सबसे ज्यादा लोकप्रिय बना और यहाँ छात्रों की संख्या नियंत्रण से बाहर होने लगी।

③ इसके अलावा इस विश्व विद्यालय में बढ़ती छात्रों की संख्या को देखते हुए प्रशासनिक समस्याओं की भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।

④ बंगाल प्रांत के जनशिक्षा संचालक आशुतोष मुखर्जी ने सरकार का ध्यान कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की ओर खींचा।

⑤ इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर 1917 में लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति 'माइकेल सैडलर' की अध्यक्षता में विश्व विद्यालय की समस्याओं तथा खासकर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसे 'सैडलर आयोग' या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं।

⑥ इस आयोग को 14 सितम्बर 1917 को गठित किया गया तथा लगभग दो वर्षों बाद 1919 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 भागों में प्रस्तुत किया।

हम इस आयोग की सिफारिशों को दो भागों में बाँट सकते हैं।

Ⓐ ऐसे सुझाव जो सभी विश्वविद्यालयों के लिए थे —

Ⓑ ऐसे सुझाव जो सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए थे —

Ⓐ सभी विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव :-

① विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से तथा माध्यमिक शिक्षा के बोझ से मुक्त किया जाये।

② विश्वविद्यालयों में सीनेट के स्थान पर कोर्ट तथा सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाये।

③ विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तैयार करने एवं परीक्षा संबंधित नियम आदि बनाने के लिए अध्ययन बोर्डों की स्थापना की जाये तथा विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञ परिषदें (Acadic councils) की स्थापना की जाये।

④ कुलपतियों का पद वैतनिक बनाया जाये तथा सभी विषयों के अलग-2 विभाग बनाये जाये जिनका एक विभागाध्यक्ष हो।

⑤ विश्वविद्यालय में इण्टर पास छात्रों को ही प्रवेश दिया जाये तथा स्नातकों को तीन वर्ष का कोर्स बना दिया जाये।

(5) कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सुझाव :-

(1) ढाका जैसे शहरों में आवासीय विश्वविद्यालय खोले जाएँ ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम किया जा सके।

(2) कलकत्ता नगर के बाहर विश्वविद्यालयों को इस तरह से विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें विश्वविद्यालय बनाया जा सके

(3) कलकत्ता नगर के अंतर्गत स्थित सभी विद्यालयों को कलकत्ता विश्व विद्यालय से जोड़ा जाये तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम किया जा सके

(4) कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्याप्त महिलाओं की शिक्षा का प्रबंध हो

(5) इसके अलावा आयोग ने महिलाओं के लिए अलग से महिला शिक्षा बोर्ड स्थापित करने तथा माध्यमिक स्तर पर पर्दा स्कूल खोलने की सिफारिश की

(6) शिक्षक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए स्नातक स्तर पर शिक्षा शास्त्र विषय पढ़ाया जाये।

:-* [बेसिक शिक्षा प्रणाली] गांधी *-:

(1) बेसिक शिक्षा प्रणाली की नींव महाराष्ट्र के वर्धा नामक जगह से शुरू हुयी

(2) वर्धा में आयोजित मारवाड़ी सभा के वार्षिक शिक्षा मण्डल में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन 22-23 अक्टूबर 1937 को बुलाया जहाँ से वर्धा योजना की नींव पड़ी

(3) इस योजना को बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है।

(4) यह योजना गांधी जी द्वारा प्रतिपादित की गयी।

* बेसिक शिक्षा प्रणाली के सात बिन्दु :-

(1) यह शिक्षा प्रणाली 7 वर्ष की उम्र से शुरू होकर 14 वर्ष की उम्र तक

(2) यह प्राथमिक शिक्षा का भाग हो जो सम्पूर्ण देश में एक जैसी हो।

(3) इसका माध्यम मातृभाषा हो

(4) यह ग्रामीण जनता की आवश्यकता के अनुकूल हो।

(5) इसमें भाषा, गणित, विज्ञान, सफाई और अच्छे आचरण के साथ-2 माता पिता के कार्यों में हाथ बटाना भी सिखाया जाय

(6) इसमें कृषि या अन्य हस्त कौशलों की शिक्षा दी जाये

(7) हस्तकौशलों की शिक्षा के माध्यम से बालक को स्वावलम्बी बनाया जाये।

* बेसिक शिक्षा प्रणाली की रूप रेखा गांधी जी की योजना के अनुसार —

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्व विद्यालय के कुलपति डाक्टर हुसैन ने दो भागों में क्रमश (1937) (1938) में प्रस्तुत की।

* बेसिक शिक्षा प्रणाली के 7 सिद्धान्त :-
① नि:शुल्क एवं सर्वगीण शिक्षा का सिद्धान्त
② आत्म निर्भरता का सिद्धान्त
③ जनसाधारण की शिक्षा का सिद्धान्त
④ सर्वोदय का सि०
⑤ वास्तविक जीवन से जोड़ने का सिद्धान्त
⑥ हस्त कौशल का सिद्धान्त
⑦ करके सीखने का सिद्धान्त

* बेसिक शिक्षा प्रणाली की समय सारणी :- [कुल समय = 5 घण्टे 30 मि०]

① हस्त कौशल = 3 घंटे 20 मि०
② संगीत, कला, संक गणित = 40 मि०
③ मातृभाषा = 40 मि०
④ सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान = 30 मि०
⑤ शारीरिक शिक्षा = 10 मि०
⑥ अवकाश = 10 मि०

* शिक्षकों की योग्यताए :-
① शिक्षक योग्य हो।
② कम से कम मैट्रिकुलेसन (हाईस्कूल) पास हो।
③ जिन लोगों को शिक्षण का कोई अनुभव न हो। उनके लिए 3 वर्ष का दीर्घ कालीन प्रशिक्षण हो।
④ जिनके पास शिक्षण का कुछ अनुभव हो उनके लिए भी कम से कम एक वर्षीय प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

* ⑤ बेसिक शिक्षा प्रणाली की असफलता के प्रमुख कारण :-
① योग्य शिक्षकों का अभाव
② सरकार की उदासीनता
③ यह प्रणाली राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं थी।

* गांधी जी की शिक्षा की परिभाषा :-
शिक्षा मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के मस्तिष्क शरीर एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है।

* गांधी जी प्रमुख पुस्तकें :-
⇒ यंग इण्डिया
⇒ हरिजन (पत्रिका)
⇒ सत्य के मेरे प्रयोग (My Experiments with the Truth) आत्मकथा
⇒ नई शिक्षा की ओर
⇒ बुनियादी शिक्षा प्रणाली

:-* [मुदालियर आयोग] *-:

यह आयोग 1952-53 में भारत में माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए बनाया गया।
इस आयोग से जुड़े प्रमुख तथ्य निम्न लिखित है। —
अध्यक्ष - लक्ष्मस्वामी मुदालियर (मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे)
कुल सदस्य - 9 (अध्यक्ष सहित)
गठन - 23 सितम्बर 1952
रिपोर्ट - 29 Oct 1953
विस्तार - 250 पेज (15 भागों में)
उपनाम - (माध्यमिक शिक्षा आयोग)

* सिफारिशें :-

(A) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्यों में भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाये
(B) जिन राज्यों में अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न बनाये गये हों वहाँ इनकी स्थापना की जाये।
(C) तकनीकि शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाया जाये

* वित्तीय सुधार :-

① वैसे माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों पर है फिर भी केन्द्र सरकार राज्यों की आर्थिक सहायता दे।
② स्कूलों को दिया जाने वाला धन कर से मुक्त हो।
③ माध्यमिक स्कूलों को स्थापित करने के लिए सरकार निशुल्क भूमि की व्यवस्था करे।
④ माध्यमिक स्तर पर तकनीकि शिक्षा के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाये।

* गांधी जी शिक्षा की परिभाषा :-
शिक्षा मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के मस्तिष्क शरीर एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है।
* गांधी जी प्रमुख पुस्तकें :-
→ यंग इण्डिया
→ हरिजन (पत्रिका)
→ सत्य के मेरे प्रयोग (My Experiments with the Truth) आत्मकथा
→ नई शिक्षा की ओर
→ बुनियादी शिक्षा प्रणाली

:-* [मुदालियर आयोग] *-:

यह आयोग 1952-53 में भारत में माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए बनाया गया।
इस आयोग से जुड़े प्रमुख तथ्य निम्न लिखित है। —
अध्यक्ष - लक्ष्मस्वामी मुदालियर (मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे)
कुल सदस्य - 9 (अध्यक्ष सहित)
गठन - 23 सितम्बर 1952
रिपोर्ट - 29 oct 1953
विस्तार - 250 पेज (15 भागों में)
उपनाम - (माध्यमिक शिक्षा आयोग)

* सिफारिशें →

(A) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्यों में भी शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया जाये
(B) जिन राज्यों में अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न बनाये गये हैं वहां इनकी स्थापना की जाये।
(C) तकनीकि शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाया जाये

* वित्तीय सुधार →

① वैसे माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों पर है फिर भी केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक सहायता दे।
② स्कूलों को दिया जाने वाला धन कर से मुक्त हो।
③ माध्यमिक स्कूलों को स्थापित करने के लिए सरकार निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करे *
④ माध्यमिक स्तर पर तकनीकि शिक्षा के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाये।

माध्यमिक शिक्षा का संगठन या ढाँचा

* ⟶ * ⟶ * ⟶

① माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद शुरू हो।
② यह शिक्षा 11 वर्ष की उम्र से शुरू होकर 17 वर्ष की उम्र तक चले।
③ इसे दो भागों में बाँटा जाये —
   Ⓐ तीन वर्षीय माध्यमिक शिक्षा - (कक्षा - 6, 7, 8)
   Ⓑ 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक शिक्षा - (कक्षा - 9, 10, 11, 12)
④ वर्तमान इण्टरमीडिएट कोर्स को खत्म करके 11 वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा तथा 12 वी कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाये इस तरह स्नातक 3 वर्षीय कोर्स हो जायेगा।
⑤ ग्रामीण इलाके के माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा पर जोर दिया जाये।
⑥ शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाये ताकि उद्योगों के लिए कुशल कामगार दिये जाये। या मिल सके।

* पाठ्यचर्या ⇒ सिनियर बेसिक शिक्षा (कक्षा - 6, 7, 8) / या माध्यमिक स्तर

① मातृभाषा
② राष्ट्रभाषा
③ अंग्रेजी
④ सामाजिक विज्ञान
⑤ सामान्य विज्ञान
⑥ गणित
⑦ कला एवं संगीत
⑧ हस्तशिल्प
⑨ शारीरिक शिक्षा

* उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या :-
① आयोग ने उच्चमाध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या को सात भागों में बाँटा
② इन सभी विभागों में अलग-2 विषय रखे गये, लेकिन विभागों में निम्न लिखित विषय अनिवार्य थे —
   Ⓐ मातृभाषा
   Ⓑ राष्ट्रभाषा / अंग्रेजी
   Ⓒ सामाजिक विज्ञान (प्रथम दो वर्षों हेतु)
   Ⓓ विज्ञान एवं गणित (प्रथम दो वर्षों हेतु)
   Ⓔ कोई एक हस्तशिल्प

* शिक्षकों के लिए सुझाव

① कम से कम दो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रशिक्षण
② निजी ट्यूशन पर रोक
③ महंगाई के अनुसार वेतन अद्यतन किया जाये।
④ पेंशन, बीमा, पी० एफ० की सुविधा दी जाये।
⑤ कुछ वैतनिक अवकाश तथा चिकित्सा सुविधा दी जाये।

Note बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर पर अलग विद्यालय तथा गृह विज्ञान विषय की सिफारिश पहली बार मुदालियर आयोग ने की थी।

* [कोठारी आयोग] *

* प्रमुख बिन्दु

गठन - 14 जुलाई 1964
अध्यक्ष - दौलत सिंह कोठारी
कुल सदस्य - 17 (सदस्य + अध्यक्ष)
रिपोर्ट - 29 जून 1966
रिपोर्ट नाम - शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति
विस्तार - 700 पेज तीन भाग
उपनाम - राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

* प्रमुख सुझाव

① NCERT को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जिम्मेदारी दी जाये।
② केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को और अधिकार दिये जायें
③ शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाये तथा केंद्र एवं राज्य सरकारें शिक्षा अधिनियम लाकर शिक्षा में आधुनिक बदलाव करें।
④ भारतीय शिक्षा सेवा (IES) Indian Education Service में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाये जिन्हें शिक्षण का अनुभव हो।

* वित्तीय सुझाव

① राज्य सरकारें अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करें।
② केंद्र सरकार भी अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करे।
③ राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपें
④ व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक से अधिक धन जुटाने का प्रयास किया जाये।

* योजना संम्बधी सुझाव →

① शिक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अलग-2 योजना बनायी जाये।
② विद्यालय शिक्षा की जिम्मेदारी कक्षा (1-12) तक राज्यों एवं स्थानीय निकायों तथा उच्च शिक्षा (University) की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकारें को दी जाये।

* शिक्षकों के लिए सुझाव →

① शिक्षकों का न्यूनतम वेतनमान निर्धारित हो
② विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि हो।
③ शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाये।
④ शिक्षकों की वेतन प्रणाली को समय के अनुकूल या अद्यतन बनाने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष बाद वेतन आयोग लाया जाये।
⑤ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
⑥ सिर्फ योग्य लोगों को ही शिक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाये चाहे इसके लिए समय से पहले पदोन्नति या अग्रिम वेतन / ज्यादा वेतन देना पड़े
⑦ पदोन्नति का आधार वरीयता न हो बल्कि योग्यता हो।

* अन्य सिफारिशें →

① शिक्षकों के वेतनमान को निर्धारित करते समय उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के घण्टों को देखा जाये।
② 5 साल से अधिक समय से नौकरी कर रहे शिक्षकों को साल में 1 बार भ्रमण करने हेतु रेलटिकिट दिये जायें।
③ शिक्षकों को पेंशन, बीमा, पी० एफ० का लिमुखी लाभ भी दिया जाये।
④ ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे पुरुष शिक्षकों को मुफ्त में आवास एवं महिला शिक्षकों को विशेष यात्रा भत्ते दिये जायें।

* अध्यापकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण →

① कुछ ऐसे विशेष विद्यालय बनाये जाये जो मुख्यतः शिक्षकों की शिक्षा की बढ़ती के लिए कार्य करें
② अध्यापकों को कुशल बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र विषय को उच्च शिक्षा अर्थात BA/MA के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाये।
③ प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा परिषद् स्थापित किया जाये जो अध्यापक की देख रेख करे और अध्यापक शिक्षा से जुड़े मानक बनाये
④ प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता (सेकेण्डरी पास) हो इसके अलावा दो वर्ष का प्रशिक्षण हो
⑤ माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक हो इसके अलावा एवं बी० प्रशिक्षण भी होना चाहिए

* कुछ अन्य सुझाव :-

① प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो तथा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित करने हेतु छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाये।

② प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें - लेखन सामग्री, यूनीफॉर्म आदि छात्रों को निःशुल्क दिया जाये।

③ बालक के घर से क्रमशः 1 और 3 Km की दूरी पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाये

④ शिक्षा को इस तरह से बनाया जाये की माध्यमिक स्तर पर कम से कम 20% एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाये।

* प्रमुख बिन्दु :-

① आयोग ने पहली बार त्रिभाषा फार्मूला शब्द का प्रयोग किया।

② आयोग ने स्कूली शिक्षा के लिए वर्ष भर में 234 कार्य दिवस जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए 216 कार्य दिवस की माँग की है।

③ आयोग ने शिक्षा प्रणाली [5+3+2+2+3] में विभाजित किया जो आगे जाकर [10+2+3] प्रणाली को जीव रखता है। जिसे 1986 की शिक्षा नीति द्वारा लाया गया।

[5 + 3 + 2 + 2 + 3]

{5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा कक्षा (1-5) तक} {3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा (6-8)} {2 वर्ष माध्यमिक शिक्षा कक्षा (9,10)} {2 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा (11,12)} {3 तीन वर्ष की स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम शिक्षा कक्षा -}

* अन्य बिन्दु :-

① प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन आंतरिक हो।

② पहली सार्वजनिक या बोर्ड परीक्षा 10वीं कक्षा में करायी जाये जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सम्पन्न करायी जाये।

③ परीक्षा में निष्पक्षता लाने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाये।

④ अंकों की होड़ को कम करने के लिए अंकों की जगह ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाये।

Note कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा निति बनायी गयी

[1986 की शिक्षा नीति]

Date:
Page: Class-16 MONIKA (27)

* 1986 शिक्षा नीति :-

① सबसे प्रमुख बात यह है कि 1986 की शिक्षा नीति के लिए न तो कोई आयोग बैठाया गया और न ही किसी समिति की नियुक्ति हुई।

② इसकी बजाए सरकार ने सरकारी रूप से शैक्षिक आंकड़ों का सर्वेक्षण कराया तथा प्राप्त परिणामों को "शिक्षा की चुनौती : नीति परिप्रेक्ष्य" के नाम से प्रकाशित कराया

③ इस रिपोर्ट में 1961 से 1986 तक के शैक्षिक उपलब्धि के आँकड़े दिये गये थे जिस पर देशव्यापी बहस शुरू हुई और यहीं से 1986 की शिक्षा नीति की नींव पड़ी

* इस शिक्षा-नीति को 12 भागों में बाँटा गया है — जो निम्न है।

① भूमिका
② शिक्षा का सार एवं इसकी भूमिका
③ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली
④ समानता के लिए शिक्षा
⑤ शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठन
⑥ तकनीकि एवं प्रबंधन शिक्षा
⑦ शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना
⑧ शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना
⑨ शिक्षक
⑩ शिक्षा का प्रबंधन
⑪ संसाधन एवं समीक्षा
⑫ भविष्य

Note 1986 की शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि आने वाले वर्षों में यह शिक्षा के लिए मैग्नाकार्टा साबित होगी।

* कार्य योजना (Plan of Action) :-
किसी शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए एक कार्ययोजना बनायी जाती है। जिसके द्वारा किसी नीति के सुझावों को वास्तविक धरातल पर प्रयोग किया जाता है।
1986 की शिक्षा नीति में कार्य योजना को निम्न लिखित '24' भागों में बाँटा गया है।

(1) प्रथम भाग :- पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है जिसमें [ECCE] तथा प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care & Education) तथा (ICDS) Integrated child development service आदि का वर्णन है [समेकित बाल विकास सेवाएँ]

(2) दूसरा भाग :- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है जिसमें प्राथमिक स्तर पर मूलभूत सुविधाएँ देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (OBB) की शिफारिश की गयी है।

(3) तीसरा भाग :- में माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने खुली शिक्षा की अवधारणा तथा गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गयी है।

(4) चौथा भाग :- व्यावसायिक शिक्षा तथा +2 (12 वी कक्षा) में व्यावसायिक कोर्सेज को शामिल करने से जुड़ा है।

(5) पाँचवा भाग :- उच्च शिक्षा में सुधार से जुड़ा है।

(6) छठा भाग :- में IGNOU के कोर्सेज को और विस्तारित करने की माँग की गयी है। तथा [IGNOU] की तरह अन्य विश्व विद्यालय स्थापित करने की बात की गयी है।

(7) सातवें भाग :- में ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की बात की गयी है।

(8) आठवाँ भाग :- प्रबन्धन एवं तकनीकि शिक्षा से जुड़ा है जिसमें तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् (AICTE) को देने प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड के प्रबन्धन एवं तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी देने की बात कही गयी है।

(9) नौवें भाग :- में शैक्षिक अवस्था के प्रशासन शिक्षकों के कार्य संबंधी मानक तथा शैक्षिक संस्थानों के मूल्यांकन की बात की गयी है।

(10) दसवें भाग :- में व्यक्तियों को नौकरी से अलग रखने तथा मानव शक्ति के नियोजन की बात की गयी है

(11) ग्यारहवें भाग :- शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास से जुड़ा है

(12) बारहवाँ भाग :- जाती समानता के लिए शिक्षा से जुड़ा है।

(13) तेरहवें भाग :- SC/ST/OBC के लिए शिक्षा के विशेष प्रबंध की बात की गयी है

(14) चौदहवें भाग :- में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रावधान है।

(15) पंद्रहवें भाग :- में विकलांगों की शिक्षा का प्रावधान है।

(16) सोलहवाँ भाग :- में प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान है

(17) सत्रहवाँ भाग :- स्कूली शिक्षा के लिए विषय वस्तु पर प्रकाश डाला है

(18) अठारहवाँ भाग :- में मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधारों की बात की गयी है
(19) उन्नीसवाँ भाग :- युवा एवं खेल से जुड़ा है
(20) बीसवाँ भाग :- भाषा एवं विकास से जुड़ा है
(21) इक्कीसवाँ भाग :- शिक्षा के सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा है
(22) बाइसवाँ भाग :- संचार एवं तकनीकि से जुड़ा है
(23) तेइसवाँ भाग :- में शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की गयी है
(24) चौबीसवाँ भाग :- शिक्षा के प्रबंधन से जुड़ा है।

* 1986 की शिक्षा नीति की प्रमुख देन :-
(1) [NCTE] की स्थापना [राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद]
(2) [DIET] [जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था] की स्थापना
(3) नवोदय विद्यालय की स्थापना
(4) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड [OBB] की स्थापना
(5) [10+2+3] शिक्षा प्रणाली की स्थापना
(6) [CTE] शिक्षक परिषद कॉलेज College of Teacher Education की स्थापना

* कुछ अन्य बिंदु :-
(1) '1990' तक प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य (कक्षा-5 तक)
(2) '1995' तक उच्च प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य कक्षा-8 तक
(3) माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश किया
(4) 1992 तक माध्यमिक स्तर पर कम से कम 28% छात्रों में व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य
(5) दिव्यांगों के लिए आवासीय शिक्षा की सिफारिश

[1992 की संशोधित शिक्षा नीति]

(1) '1986' की शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसमें संशोधन किया जायेगा।
(2) सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया अभी यह समिति अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर पायी थी कि सरकार ने जनार्दन रेड्डी समिति का भी इसी शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1992 में गठन कर दिया
(3) इन दोनों समितियों की संयुक्त रिपोर्ट से ही 1992 की संशोधित शिक्षा नीति की नींव पड़ी है।

* इस संशोधित शिक्षा नीति में भी 1986 की शिक्षा नीति की तरह कुल 12 भाग हैं जो निम्न लिखित हैं। ←
① भूमिका ② शिक्षा का सार ③ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ④ समानता के लिए शिक्षा ⑤ शिक्षा का पुनर्गठन ⑥ तकनीकि शिक्षा का प्रबन्धन ⑦ शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना ⑧ शिक्षा की विषयवस्तु एवं प्रक्रिया में नया मोड़ देना ⑨ शिक्षक ⑩ शिक्षा का प्रबन्धन ⑪ संशाधनों की समीक्षा ⑫ भविष्य

* कुछ प्रमुख बदलाव :-
① 1986 की शिक्षा नीति में कार्य योजना में 24 भाग थे जबकि 1992 की संशोधित शिक्षा नीति की कार्य योजना में कुल 23 भाग हैं।
② 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू कर दिया गया।
③ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत अब उच्च शिक्षकों '3' कमरों एवं एक बरामदे वाले भवन व्यवस्था की गयी
④ 1986 की शिक्षा नीति में प्रत्येक 300 बस्तियों की अवधि पर प्राथमिक स्कूल स्थापित करने का जो मानक बनाया गया था उसे 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में 200 कर संख्या कर दिया गया।
⑤ निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य जो 1986 की शिक्षा नीति में 1995 के लिए रखा गया था। इसे बढ़ाकर वर्ष 2000 कर दिया गया था।

मापन एवं मूल्यांकन - 2

Date: Page: Class 13 MONIKA (31)

** **मापन :-** किसी व्यक्ति वस्तु आदि के गुणों को अंकों में प्रकट करना ही मापन है। जैसे - लम्बाई, चौड़ाई या वजन आदि को अंकों में प्रकट करना ही मापन है जैसे - राम का वजन 50 kg है।

* **मापन प्रकार :-** मापन के दो प्रकार माने गये है (1) मूर्त या भौतिक मापन :- [Concrete या Physical Measurement]

(1) वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों का मापन जो दिखते हों या जिनकी एक शारीरिक उपस्थिति हो जैसे - लम्बाई, चौड़ाई, वजन आदि मूर्त / भौतिक मापन कहलाते है।

(2) **अमूर्त / सामाजिक मापन :-** (Abstract / Social Measurement) इस प्रकार के मापन में मापा जाना वाला गुण या विशेषता अमूर्त होती है जैसे - बुद्धि या व्यक्तित्व का मापन

* **मापन के तत्व :-** मापन के तीन तत्व माने गये है।

(A) मापनकर्ता → मापनकर्ता एक व्यक्ति या मशीन दोनों हो सकते है।

(B) मापन के चर → वह वस्तु या गुण जिसका मापन किया जायेगा उसे मापन के चर कहा जायेगा जैसे - लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, वस्तु, बोर्ड

(C) मापन के उपकरण → वह औजार या तकनीकि जिसकी सहायता से मापन किया जायेगा उसे मापन के उपकरण कहा जाएगा - जैसे - तराजु, इंच-टेप बहुविकल्पीय प्रश्न, मौखिक परीक्षा

Que जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों किसी भी परीक्षा के अंक निर्धारित करना IQ test नंबर देना

* मापन के चर :- मापन के चरों को दो भागों में बाँटा गया है।

(A) गुणात्मक चर (Qualitative Veriable) →
इस प्रकार के चर में मापन में अंक देना तो संभव है लेकिन मापन की कोई इकाई (unit) नही होती है जैसे - बुद्धि या व्यक्तित्व का मापन

(B) मात्रात्मक चर (Quantitative veriable) →
जहाँ मापन के अन्तर अंक देना भी सम्भव है तथा इसकी एक इकाई भी है तो ऐसे चर को मात्रात्मक चर कहा जाएगा जैसे - लम्बाई, चौड़ाई, वजन आदि जैसे - राम का वजन [50 Kg] है —
(50 → अंक, Kg → मात्रा)

मात्रात्मक चरों को फिर से दो भागों में बाँटा गया है —

(i) सतत चर (Continuous Veriable) →
ऐसे चरों में मापन पूर्णांकों के साथ-साथ दशमलव में भी संभव होता है जैसे, लम्बाई, चौड़ाई, वजन, आयु,

(iii) असतत-चर →
इस-चर में मापन सिर्फ पूर्णांकों में संभव है, जैसे, परिवार के सदस्यों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, कक्षा में छात्रों की संख्या, घर, आदि

* मापन के स्तर :-
स्टीवेन्सन जिन्हें आधुनिक मापन के अध्ययन का जनक माना जाता है उन्होंने मापन के 4 स्तर बताये हैं।
① नामित मापन (Nominal scale)
② क्रमिक मापन (ordinal scale)
③ अन्तराल मापन (Interval scale)
④ आनुपातिक मापन (Interval scale)

① नामित मापन → यह सबसे हल्का या कच्चा मापन का स्तर कहलाता है क्योंकि यह कम से कम ज्ञानकारी देता है वास्तव में इस स्तर पर गुणों को ही नाम मानकर उनका मापन हो जाता है जैसे किसी गाँव की जनसंख्या को दो भागों में बाँटना, किसी कक्षा के छात्रों को दो भागों में बाँटना

गाँव की जन संख्या	
गुण	मापन
स्त्री	x
पुरुष	y

कक्षा में छात्रों की संख्या	
गुण	मापन
पास	10
फेल	40

② क्रमिक मापन → इस स्तर में हमें नामित मापन के साथ-2 क्रम का भी पता चलता है जैसे- कक्षा के छात्रों का रोलनंबर / अनुक्रमांक, मुगल वंश के शासकों का

③ अन्तराल मापन → जब मापन में नामित एवं क्रमिक मापन के साथ-2 अंतराल भी दिया गया हो तो उसे अन्तराल मापन कहते हैं। जैसे- किसी परीक्षा में 1 से 50 अनुक्रमांक वाले छात्रों को कमरा नं. ① में बैठना है तथा 51 से 100 अनुक्रमांक वाले छात्रों को कमरा नं. ② में बैठना है

1 — 50 — ① room
51 — 100 — ② "

Note- अन्तराल यहाँ 50 से 51 के बीच है

जैसे किसी कक्षा में [1 — 10] तक 5 छात्रों के अंक आये
व [11 — 20] तक 6 छात्रों के अंक आये

Note अन्तराल यहाँ (10 — 11) के बीच पता लगता है

④ आनुपातिक मापन → यह मापन का सर्वोच्च स्तर है जिसमें दो बातें बहुत ही खास हैं जब मापन में नामित, क्रमिक व अंतराल मापन के लाभ-ट आनुपातिक भी दिया गया हो आनुपातिक मापन कहते हैं

Ⓐ यह स्तर इकाई से स्वतंत्र है

Ⓑ इसमें परम शून्य (True zero) शामिल है → जब वहाँ पर किसी वस्तु की मात्रा (Nil) हो जाये उसे परम शून्य मापन कहते हैं

जैसे- भारत ने पाकिस्तान को 5:0 से हराया

H_2O में नाइट्रोजन की मात्रा परम शून्य है

केवल ऑक्सीजन व हाइड्रोजन

* मापन की त्रुटियां (Errors of Measurement)

भले ही मापन को कितनी भी सावधानी से किया जाये लेकिन उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां पड़ा रहती है इनमें से प्रमुख त्रुटियां निम्न लिखित हैं।

① आकस्मिक त्रुटि → जैसे परीक्षा भवन में अचानक बेहोश घोषणा या परीक्षा देने जाने वक्त अचानक चाम में फस जाना आदि

② सार्वभौमिक त्रुटि → जिसमें सभी प्रभावित होते हो जैसे किसी प्रश्न के सभी विकल्प गलत होना

③ वैयक्तिगत त्रुटि → परीक्षक द्वारा जानबूझकर अंक काट लेना या छात्र द्वारा सही उत्तर मालुम होने पर भी गलत गोला रंग देना।

* मापन की प्रमुख परिभाषा :-

स्टीवेन्सन के अनुसार— मापन किन्ही निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक या प्रदान करने की प्रक्रिया है।

मोरडेक एवं ब्रेडफील्ड के अनुसार— मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी घटना या वस्तु के विभिन्न गुणों को चिह्न या अंक प्रदान किये जाते हैं

हेलमस्टैडर के अनुसार— मापन को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषता का आंकिक वर्णन किया जाता है। जैसे व्यक्ति का वजन बताना

ई० एफ० लीन के अनुसार- मापन का उद्देश्य एक व्यक्ति को संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्व का बखूबी पालन कर सके।

** मूल्यांकन

① किसी वस्तु या घटना के गुण को संकों में प्रकट करना मापन है जबकि उसके गुण दोष जानना मूल्यांकन है

② मूल्यांकन में मापन संभव भी हो सकता है तथा बिना मापन के भी मूल्यांकन संभव है अर्थात मापन का क्षेत्र सीमित है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है।

* मूल्यांकन के प्रकार :- वास्तव में मूल्यांकन के सिर्फ दो ही प्रकार होते है।

Ⓐ योगात्मक मूल्यांकन (summative Evaluation) →

इस प्रकार के मूल्यांकन में सबसे पहले सम्पूर्ण विषय वस्तु सिखा दी जाती है और सिखाने के दौरान कोई भी मूल्यांकन नहीं होता है तथा सम्पूर्ण विषय वस्तु को खत्म करलेने के बाद एक ही बार में किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलायेगा जैसे - सेमेस्टर परीक्षा, या सत्र परीक्षा, वार्षिक परीक्षा।

Note क्योंकि यह पास या फेल करने का मूल्यांकन है इसलिए इसमें सुधार के लिए कोई संभावना न होने कारण NCF-2005 ने इसे सबसे खराब मूल्यांकन माना है।

Ⓑ रचनात्मक /रूपात्मक /संरचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) →

यह मूल्यांकन का सबसे बेहतर प्रकार है जिसमें सीखने के दौरान ही मूल्यांकन हो जाता है यह मूल्यांकन पास या फेल करने के लिए नहीं अपितु सुधार करने के लिए होता है। जैसे - पाठ पढ़ने के दौरान शिक्षक द्वारा बीच-2 में प्रश्न पूछकर आश्वस्त होते रहना कि विद्यार्थी सही दिशा में सीख रहा है यह मूल्यांकन प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक हो सकता है।

* आजकल मूल्यांकन के कुछ नये प्रकार आ गये है जिनकी अब हम चर्चा करते है

1 निदानात्मक मूल्यांकन — (Diagnostic Evaluation)

इस प्रकार के मूल्यांकन में छात्र का मूल्यांकन उसकी कमजोरियों, कमियों या अधिगम में आने वाली चुनौतियों को पहचानने के लिए किया जाता है। जैसे - कोई छात्र गणित में कम अंक लेकर आया है इसको जानने के लिए किया गया मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन कहलायेगा।

2. सतत मूल्यांकन →

नियमित अंतराल पर लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहा जायेगा इसका उद्देश्य समय रहते छात्र की कमियों की पहचान कर उसे सुधारना है जैसे साप्ताहिक मूल्यांकन।

3. व्यापक मूल्यांकन [Comprehensive Evaluation] →
व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जायेगा जिसमें छात्र के सभी क्षेत्रों जैसे- संज्ञानात्मक, भावात्मक, एवं क्रियात्मक तीन तीनों का ही मूल्यांकन होगा।

4. विद्यालय आधारित मूल्यांकन (School Based Assesment) →
ऐसा मूल्यांकन जो उसी विद्यालय में किया जाये जिसमें छात्र पढ़ रहा है। उसे विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहा जायेगा।
जैसे- प्राथमिक स्तर पर किया गया मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन है

5. पोर्टफोलियो मूल्यांकन →
छात्र द्वारा अलग-2 समय पर अलग-2 क्षेत्रों में किये गये प्रदर्शन के आधार पर समग्र मूल्यांकन करना पोर्टफोलियो मूल्यांकन है जो छात्र के द्वारा खुद से या शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। जैसे- छात्र जनवरी माह में कितने नं० पाया फरवरी माह में कितने नं० पाया इसी के आधार पर मूल्यांकन कर सकते है।

[अच्छे परीक्षण की विशेषताएं]

① वैधता (validety) → परीक्षण का सिर्फ उसी उद्देश्य को पूरा करना जिसके लिए इसे बनाया गया है वैधता कहलाता है।

② विश्वसनीयता (creadibility) → समान परिस्थियों में समान परिणाम देना परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाता है अर्थात एक छात्र अगर समान प्रश्नों पर समान परिणाम देता है इसे परिणामों की विश्वसनीयता माना जायेगा।

③ व्यापकता (comprehensheness) → अगर मूल्यांकन में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष तीनों का मूल्यांकन हो तो इसे व्यापक मूल्यांकन कहते है।

④ वस्तुनिष्ठता (objectivity) → अगर कई परीक्षक परीक्षण के बाद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते है तो इसे निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता कहा जायेगा जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों।

⑤ व्यावहारिकता (Practiceability) → परीक्षण इस तरह से बनाया जाये कि यह केवल किताबी तौर पर सच न हो अपितु वास्तविक परिस्थियों में भी सच्चा हो या खरा उतरता है

⑥ विभेदकता [Differenciability] → किसी परीक्षण में अन्तर करने करने की सक्षमता को ही विभेदकता कहते है अर्थात अगर एक परीक्षण अलग-2 बौद्धिक एवं मानसिक स्तर के लोगों पर अलग परिणाम देता है तो इसे परीक्षण की विभेदकता कहा जायेगा।

⑦ मितव्ययिता → परीक्षण ज्यादा खर्चीला न हो ताकि सभी लोग इसे प्रयोग कर सकें।

[मूल्यांकन के उपकरण]

मूल्यांकन के उपकरण के अंतर्गत वे यंत्र या तरीके आते है जिसकी सहायता से मूल्यांकन किया जाता है।

(i) मौखिक परीक्षा
(ii) लिखित परीक्षा
(iii) साक्षात्कार
(iv) MCQs या बहुविकल्पीय प्रश्न
(v) घटना वृत्त
(vi) डायरी
(vii) आत्मकथा
(viii) अवलोकन
(ix) निर्धारणमापनी (Rating scale)
(x) पंच सूची

[मूल्यांकन विधियाँ]

मूल्यांकन की विधियों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा गया है।

(A) (i) प्रमापीकृत विधियां → इस प्रकार के मूल्यांकन में मूल्यांकन के दौरान मापन करना या अंक देना संभव है।

(B) अप्रमापीकृत विधियां → इस प्रकार के मूल्यांकन में मापन या अंक देना संभव नहीं है क्योंकि इसमें अंक नहीं गुणवत्ता मापी जाती है।

प्रमापीकृत विधियाँ	अप्रमापीकृत विधियाँ
(i) बुद्धि परिक्षण	(i) आत्मकथा
(ii) व्यक्तित्व परीक्षण	(ii) डायरी
(iii) अभियोग्यता ,,	(iii) अभिलेख (Records)

[मूल्यांकन के उद्देश्य]

* मूल्यांकन के निम्न लिखित उद्देश्य हो सकते है —

(i) निदान एवं उपचार
(ii) सुधार करना
(iii) प्रमाण पत्र वितरित करना
iv रिक्त अवस्था में सुधार लाना
v चयन
vi वर्गीकरण
vii अधिगम के लिए प्रेरणा
viii निर्देशन / सलाह

[मूल्यांकन की विशेषताएं]

1. मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है
2. मूल्यांकन निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है
3. मूल्यांकन एक सुधारात्मक प्रक्रिया है।
4. पृष्ठपोषण (feedback) मूल्यांकन का अभिन्न अंग है।
5. मूल्यांकन का एक मानक होता है।
6. मूल्यांकन एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है।

[मूल्यांकन की परिभाषाएं]

* जी. दाण्डेकर के अनुसार — बालक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है यह जानने की अवधित प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है।
* कोठारी आयोग के अनुसार - मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो समूर्ण शिक्षा प्रणाली अभिन्न अंग है।
* गुप्त के अनुसार - मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु का सही से मापन किया जाता है।

* NCERT के अनुसार - मूल्यांकन त्रिकोण

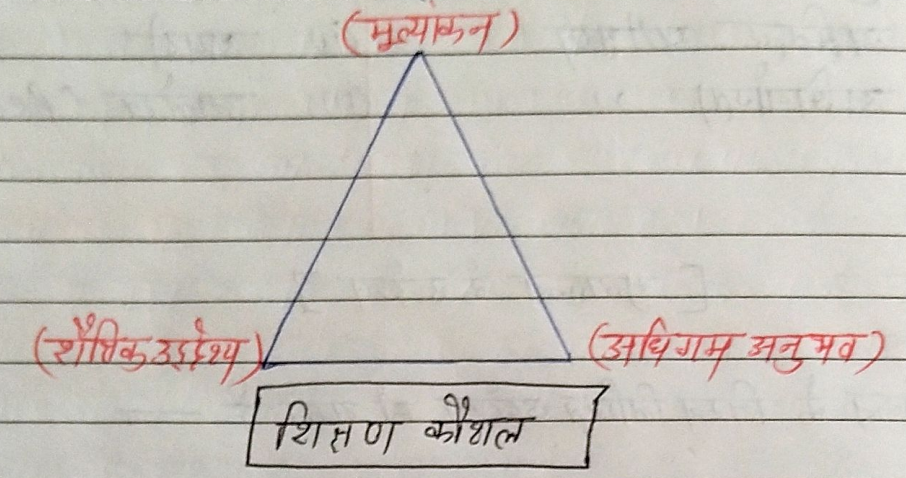

Imp-facts

शिक्षण कौशल प्रमुख बिंदु :-

1. शिक्षण के तीन चरण माने गये है
निदान - (कमियाँ पहचानना) जैसे एक छात्र डासित क्यों नही जोड़ पा रहा।
उपचार - (समस्याओं कमियों को सुधारना) जैसे- किसी छात्र को डासित जोड़ने का तरीका
मूल्यांकन - (चैक करना) जैसे कि छात्र को जो तरीका बताया था वह कितना काला है
2. शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया सबसे पहले फ्लॉन एडम्स ने कहा था. जिसमें छात्र एवं शिक्षक आते है 'रॉस' ने भी इसका समर्थन किया था।
3. शिक्षक की त्रिमुखी प्रक्रिया पहली बार 'फ्लॉन डीवी' ने कहा तथा इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, सामयिक विषयवस्तु आते है बाद में ब्लूम और रॉयबर्न ने भी इसका समर्थन किया है।
4. बी.ओ.स्मिथ - ने शिक्षण के तीन चर माने है —

तीन चर
- शिक्षक (स्वतंत्र चर)
- शिक्षार्थी (आश्रित चर)
- पाठ्यक्रम (मध्यस्थ चर)

स्मिथ, ने शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया का कार्यवाहक चर माना है।
5. टॉलमैन ने शिक्षण की तीन अवस्थायें मानी है जो निम्न लिखित है
① शिक्षण पूर्व अवस्था (Pre Teaching Phase) :-
इस चरण में छात्र का पूर्व ज्ञान उसकी मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है।
② अन्त: क्रियात्मक अवस्था (Interactive Phase) :-
इस चरण/अवस्था में छात्र एवं शिक्षक दोनों विषयवस्तु पर अन्तक्रिया करते हुये सीखते और सिखाते है।

③ उत्तर अंन्तःक्रियात्मक अवस्था (Post Interactive) Phase :-
इस अवस्था में सीखने और सिखाने का मूल्यांकन प्रतिपुष्टि आदि की प्रक्रिया शामिल होती है।

6. मनोवैज्ञानिक 'ग्रोसफोई' ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के चार तत्व बताये है —
① शिक्षण - शिक्षक
② अधिगम - शिक्षार्थी
③ वातावरण - अनुकूल माहौल
④ शैक्षणिक आयोजन → खेल विधि, गतिविधि आधारित, इन्द्रिय आधारित } आयोजन

7. एडगर डेल ने शिक्षण: अधिगम सामग्री की प्रभाव शालिता का एक शंकु दिया है जिसे "डेल का अनुभव शंकु कहते है जो निम्न है।

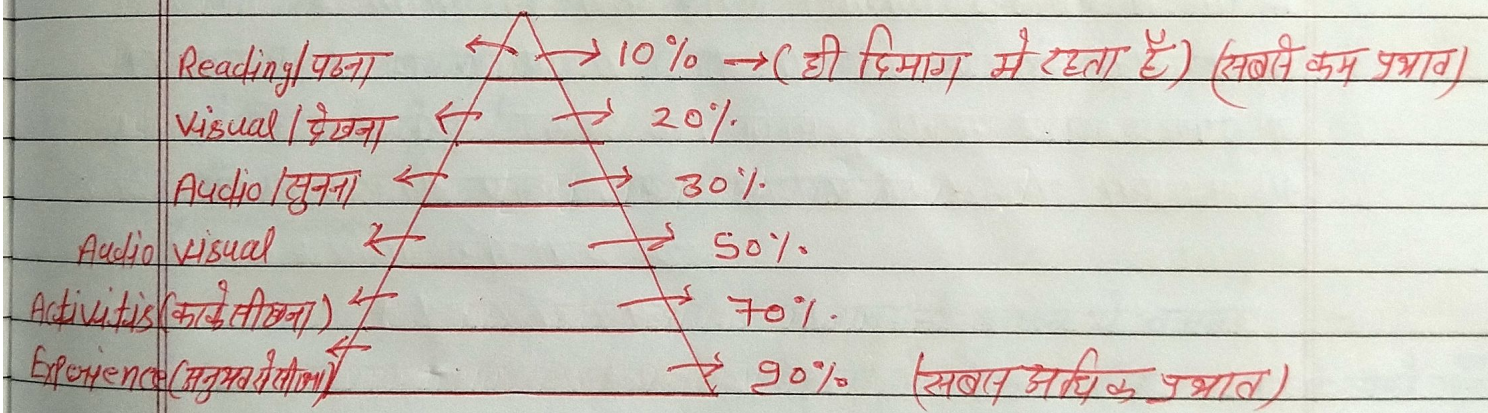

8. शिक्षण के सूत्रों का जनक हरबर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस को माना जाता है जिन्होंने शिक्षण के 11 सूत्र दिये।
9. शिक्षण तीन स्तर माने गये है -
① स्मृति स्तर (Memory Level) — हरबर्ट
② बोध स्तर (Understanding Level) - मोरिसन
③ चिंतन स्तर (Reflective Level) - मोरिस पी. एंट
10. बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का विभाजन किया है जिसे ब्लूम की टैक्सोनोमी / ग्रेड / डोमेन / पद्ध भी कहते है।

③ उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था (Post Interactive) Phase :-
इस अवस्था में सीखने और सिखाने का मूल्यांकन प्रतिपुष्टि आदि की प्रक्रिया शामिल होती है।

6. मनोवैज्ञानिक 'घॉसफोई' ने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के चार तत्व बताये है —
① शिक्षण - शिक्षक
② अधिगम - शिक्षार्थी
③ वातावरण - अनुकूल माहौल
④ शैक्षणिक आयोजन - खेल विधि, गतिविधि आधारित, इन्द्रिय आधारित } आयोजन

7. एडगर डेल ने शिक्षण: अधिगम सामग्री की प्रभाव शालिता का एक शंकु दिया है जिसे "डेल का अनुभव शंकु कहते है जो निम्न है।

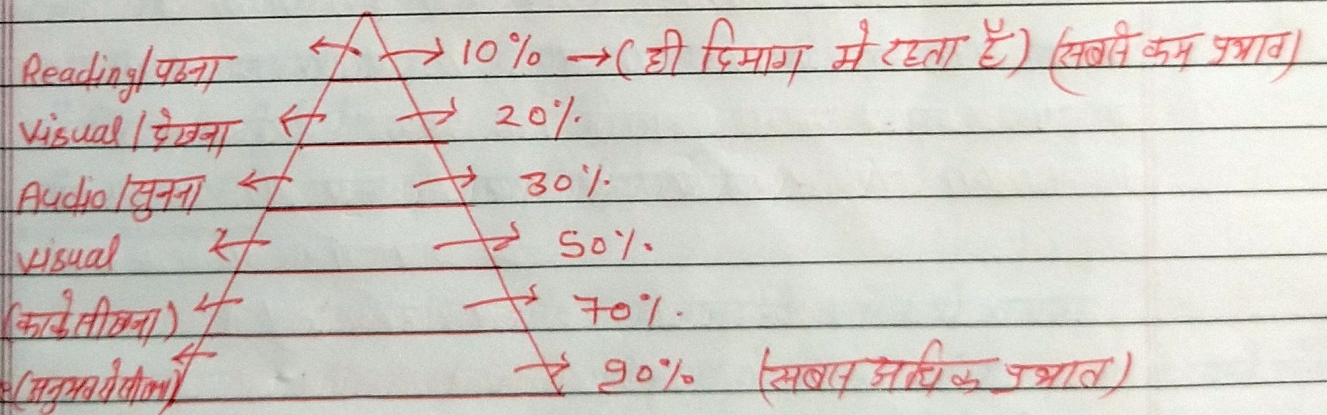

8. शिक्षण के सूत्रों का जनक हरबर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस को माना जाता है जिन्होंने शिक्षण के 11 सूत्र दिये।
9. शिक्षण तीन स्तर माने गये है -
① स्मृति स्तर (Memory Level) — हरबर्ट
② बोध स्तर (Understanding Level) - मोरिसन
③ चिंतन स्तर (Reflective Level) - मोरिस पी. हंट
10. बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का विभाजन किया है जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी / ग्रेड / डोमेन / पद्ध भी कहते है।

(11) इस टैक्सोनोमी में तीन पक्ष है —
- संज्ञानात्मक पक्ष
- भावात्मक पक्ष
- क्रियात्मक पक्ष

12. सूक्ष्म शिक्षण का जनक अमेरिका की स्टैन फोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रो० इवाइट ऑलिन एलेन को माना जाता है।

(13) भारत में सूक्ष्म शिक्षण का जनक प्रो० वी० के० पासी को माना जाता है जबकि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का पहला प्रयोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो० डी० डी० तिवारी ने किया।

☆ * शिक्षण स्तर :-
* शिक्षण के तीन स्तर 'पॉल विग्स' ने माने हैं।
* वास्तव में शिक्षण के तीनों स्तर शुरुआत में पाठ योजनाएं थी। जिनको पॉल विग्स ने शिक्षण के स्तरों में परिवर्तित कर दिया।
(1) स्मृति स्तर ⇒ शास्त्रीय पाठ योजना – हरबर्ट
(2) बोध स्तर ⇒ मूल्यांकन पाठ योजना - मौरिसन
(3) चिंतन स्तर ⇒ वैज्ञानिक पाठ योजना - मौरिस पी० हंट

① स्मृति स्तर :- [Memory Level]
* इस स्तर के जनक हरबर्ट माने जाते हैं।
* यह स्तर पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
* इसका प्रयोग निचली कक्षाओं में गिनती, पहाड़े, वर्णमाला आदि याद कराने के लिए किया जाता है।
* लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह स्तर उच्च कक्षाओं में प्रयोग नहीं हो सकता है. बल्कि इतिहास आदि विषयों के लिए उच्च स्तर का प्रयोग किया जाता है।
* NCERT अपनी पाठ योजना हरबर्ट की पंचपदी प्रणाली पर ही तैयार करती है।

पाँच चरण :- पंचपदी प्रणाली (हरबर्ट)

(1) प्रस्तावना (Introduction) - विषय वस्तु को संक्षिप्त में बताना
(2) प्रस्तुतीकरण (Presentation) - पूर्वज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान छात्र के सामने प्रस्तुत करना
(3) तुलना (Confession) - समानता और अन्तर बताने के लिए तुलना करना
(4) सामान्यीकरण (Generalization) - सम्पूर्ण विषय वस्तु का निष्कर्ष निकालना
(5) अनुप्रयोग (Application) - सीखी गयी जानकारी का प्रयोग करना। जैसे-

② बोध स्तर :- [Understanding Level]
* यह स्तर मौरिसन द्वारा प्रतिपादित है।
* यह स्तर विषय-वस्तु को रट्टा मारने की बजाए समझने पर जोर देता है
* यह स्तर उच्च प्राथमिक या उससे आगे की कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है
* स्मृति स्तर की तरह इस स्तर में भी पाँच चरण है जो निम्न लिखित है :-

पाँच-चरण :-

① खोज [Investigation] सूचना की जाँच पड़ताल करना
② प्रस्तुतीकरण [Presentation] सूचना को क्रमबद्ध प्रस्तुत करके समझाना
③ समावेशन [Assimilation] समझका अपने अन्दर उतार लेना संगीकृत कर लेना
④ संगठन [organization] सीखी गयी या समझी गयी जानकारी को अन्य जानकारियों को व्यवस्थित
⑤ सक्रियकरण [Praposession] क्युकि हम समझ गये हैं इसलिए अपने शब्दों में प्रकट करना

③ चिन्तन स्तर (Reflective Level) :-

* यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है।
* इसका प्रतिपादन मौरिय पी. हंट ने किया है।
* यह स्तर उच्च कक्षाओं, अनुसंधान, निर्णय लेने आदि में प्रयोग किया जाता है
* क्योंकि यह शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है इसलिए यह सबसे मुश्किल कार्य में प्रयोग होता है।

चरण :-

(i) समस्या की पूरी जानकारी (सेब नीचे क्यों गिरता है)
(ii) संकल्पना निर्माण / विकल्प पर विचार करना (गिरने का कारण)
(iii) आकड़े इकट्ठे करना (सेब गिरने के आकड़े इकट्ठे करना जैसे आम सेब केला नारियल)
(iv) संकल्पना विकल्प का परीक्षण एवं निष्कर्ष। (यह सब समझने पर निष्कर्ष निकल कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है इसे कारण यह सब होता है।)

* सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1961 के आस-पास अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनीवर्सिटी से प्रो० डीव एलेन तथा प्रो० बुश के नेतृत्व में हुआ।
* लेकिन 1963 के आस-पास इसी विश्व विद्यालय के प्रो० इगारट अन्यु एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान किया इस लिए एलन को ही सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है।
* भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान NCERT द्वारा इग्नू विश्वविद्यालय के प्रो० वी० के० पासी की सहायता से तैयार किया गया है।
* भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो० डी० डी० तिवारी ने किया।

परिभाषाएं :-

① एलन के अनुसार - सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में कम संख्या वाली कक्षा में सम्पन्न की जाती है।

② प्रो० वी० के० पासी के अनुसार - सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसकी सहायता से एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम संख्या वाली कक्षा में कम समय में विशेष कौशलों का प्रयोग कर सिखाता है।

③ एलन एवं इव के अनुसार - सूक्ष्म शिक्षण वास्तव में नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है। जिसमें किसी शिक्षण अथवा को नियंत्रित दशाओं में सीखा संभव है।

* सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धान्त :-

एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के पाँच सिद्धान्त बताये है —

① वास्तविक शिक्षण का सिद्धान्त (केवल टीचिंग पर फोकस होता है)
② शिक्षण की जटिलताओं में कमी का सिद्धान्त
③ शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धान्त
④ अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण का सिद्धान्त
⑤ तुरन्त प्रतिपुष्टि का सिद्धान्त (टीचर को अपनी गलतियों को सुधारने की तुरन्त प्रतिपुष्टि मिलेगी)

* सूक्ष्म शिक्षण के चरण :-

(1) स्टैन फोर्ड विश्व विद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण के निम्न लिखित 6 चरण माने गये है।

(1) योजना निर्माण (Planning) → पढ़ाने की योजना बनाना (one hours)
(2) शिक्षण (Teaching) → योजना बनाकर पढ़ाना
(3) प्रतिपुष्टि (feedback) → पढ़ाने की प्रतिपुष्टि feedback मिलना
(4) पुनर्योजना (Replanning) → इस से योजना गलतियों पर
(5) पुनर्शिक्षण (Reteaching) → गलतियाँ सुधारने के बाद शिक्षण
(6) पुनर्प्रतिपुष्टि (Refeedback) → फिर इस से फीडबैक

स्टैन फोर्ड विश्व विद्यालय की शिक्षण प्रविधि :-

* स्टैन फोर्ड विश्व विद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का एक चक्र '45' मिनट है। जिसमें निम्न लिखित चरण आते है। (भारत का उदा.)

(i) शिक्षण = 5 मिनट
(ii) प्रतिपुष्टि = 10 मिनट
(iii) पुनर्योजना = 15 मिनट
(iv) पुनर्शिक्षण = 5 मिनट
(v) पुनर्प्रतिपुष्टि = 10 मिनट
कुल समय — 45 मिनट

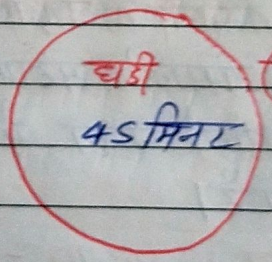

(प्रविधि-चक्र)

भारत में सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान :-

* भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान इग्नेट विश्वविद्यालय के प्रो० वी० के० पासी के साथ मिलकर NCERT ने तैयार किया है जिसे हम NCERT का प्रतिमान कहते है क्यों कि निम्न लिखित है

छात्रों की संख्या	5 से 10 छात्र
छात्र	वास्तविक छात्र / B.Ed / BTC के सहपाठी
पर्यवेक्षक	B.Ed / BTC के सहपाठी / शिक्षक
पाठ की अवधि	6 मिनट
कुल चक्र का समय	36 मिनट
शिक्षण कौशलों की संख्या	एक बार एक शिक्षण कौशल

* NCERT का भारतीय सूक्ष्म शिक्षण चक्र :-

(1) NCERT के भारतीय सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि 36 मिनट है जिसे निम्न लिखित तरीकों से विभाजित किया गया है।

(1) शिक्षण = 6 मिनट
(2) प्रतिपुष्टि = 6 मिनट
(3) पुनर्योजना = 12 मिनट
(4) पुनर्शिक्षण = 6 मिनट
(5) पुनर्प्रतिपुष्टि = 6 मिनट

कुल सत्र चक्र = 36 मिनट

* सूक्ष्म शिक्षण के लाभ :-

(1) तुरंत प्रतिपुष्टि संभव
(2) विशिष्ट शिक्षण कौशलों पर फोकस करके पारंगत बनाने में सहायक
(3) निष्पक्ष मूल्यांकन
(4) शिक्षण की जटिलताओं में कमी
(5) नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण संभव
(6) निरीक्षक का परामर्शदाता होना
(7) निपुण एवं उपचार

Note एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को "अवश्रेणीकृत शिक्षण विधि" कहा है।
Scaled Down Teaching Method कहा है

शिक्षण के सूत्र

1. शुरुआत से ही शिक्षण सूत्रों को परिभाषित करना काफी मुश्किल रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग शिक्षण के सूत्रों को शिक्षण के सिद्धान्त समझकर भ्रमित हो जाते हैं।
2. सामान्य अर्थ शिक्षण के सूत्र वे उसूल है या वे मार्गदर्शक बिंदु है जिन्हे ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य संम्पन्न करना चाहिए
3. रेमन्ट के अनुसार :- शिक्षण के सूत्र वास्तव में मार्गदर्शक का कार्य करते है जिनसे एक सिद्धान्त से व्यवहार में उतारने की सहायता मिलने की अपेक्षा की जाती है।

4. वास्तव में हरबर्ट स्पेन्सर एवं कमेनियस ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के कुछ नियम बताये जिन्हे बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना गया।

* वास्तव में इनकी संख्या 11 है।
अब हम इन शिक्षण सूत्रों पर विचार करेंगे।

* 11 शिक्षण सूत्र —:

(1) सरल से कठिन की ओर :
शुरुआत में छात्र को सरल विषयवस्तु तथा बाद में कठिन विषयवस्तु सिखायें जैसे - पहले बिना हांसिल के जोड़ना सिखाना, और बाद में हासिल के साथ जोड़ना सिखाना।

(2) ज्ञात से अज्ञात की ओर :
पहले बालक को वह सिखाया जाये जो वह पहले से जानता है, और बाद में उसी से जोड़कर वह सिखाया जाये जो वह पहले से नही जानता है।
जैसे - आम के चित्र के पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर वर्णमाला का अक्षर 'आ' सिखाना।

आ → नवीन ज्ञान (अज्ञात)
→ पूर्व ज्ञान (ज्ञात)

(3) मूर्त से अमूर्त की ओर :
बालक को पहले प्रत्यक्ष या मूर्त ज्ञान दिया जाये और बाद में उसी का सहारा लेकर अमूर्त ज्ञान दिया जैसे - पहले ईमानदार बालक का उदाहरण देना और बाद में उसी का सहारा लेकर ईमानदारी सिखाना

मूर्त (जो दिखता है)	ईमानदार बालक
अमूर्त (जो नही दिखता)	ईमानदारी

(4) पूर्ण से अंश की ओर :
पहले पूरी जानकारी दे फिर उसके अलग-2 भागों को समझायें जैसे - पहले सम्पूर्ण मानव शरीर की जानकारी देना और बाद में अलग-2 अंगो के बारे में जानकारी देना।

(8) अनिश्चित से निश्चित की ओर :-
इस सूत्र के अनुसार शुरुआत में बालक एक तरह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं करता तब तक वह किसी संकल्पना के बारे में अनिश्चित होता है लेकिन स्पष्टता प्राप्त करने के बाद निश्चित हो जाता है जैसे :- एक बालक जो पहले से यह कहना कि मुझे में कई बातें चाहिए लेकिन बाद में यह निश्चित हो जाना कि उसकी अधिकतम संख्या '32' हो सकती है।

(9) प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर :-
पहले किसी विशेष वस्तु पर आधारित प्रत्यक्ष सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाएँ और बाद में परोक्ष प्रश्न पूछे जाएँ। जैसे पहले किसी कहानी के पात्रों पर आधारित ~~प्रश्न~~ प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना और बाद में कहानी से मिलने वाली अप्रत्यक्ष सीख पर आधारित प्रश्न पूछना।

(10) विशिष्ट से सामान्य की ओर :-
अलग-2 उदा. देकर संकल्पना संकल्पना को समझाना विशिष्ट माना जायेगा जबकि उनके कुछ ऐसे गुण बताना जो सभी में एक जैसा है सामान्य कहलायेगा। जैसे उदा. के लिए नीम, आम, पीपल आदि वृक्ष अलग-2 है यह विशिष्ट है लेकिन सभी में पेड़, पत्तियाँ तना एक जैसे है क्योंकि सामान्य है।

(11) विश्लेषण से संश्लेषण की ओर :-
शुरुआत में स्पष्टता के लिए जानकारी को छोटे-2 भागों में बाँटना और बाद में समझ के लिए एक कर देना जैसे- तना, पत्ती, पेड़, शाखाएँ वृक्ष के अलग-2 भाग है लेकिन वृक्ष तो तभी माना जायेगा जब इन सब को एक साथ रखा जायेगा।

(12) मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर :-
सूत्र के अनुसार पहले बालक के पूर्व ज्ञान, बौद्धिक स्तर तथा ग्रहण शक्ति आदि की जानकारी ले और फिर उसे सिखायी जाने वाली विषय वस्तु को तार्किक ढंग से समझाएँ।

(13) अनुभव से युक्ति की ओर :-
सूत्र के अनुसार बालक के रोजमर्रा के अनुभवों से चौंककर विज्ञान आदि के सूत्र समझना जैसे एक बालक द्वारा जमीन की ओर गेंद फेंकने पर गेंद का वापस जमीन पर गिरना अनुभव है लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम है यह समझना युक्ति या सूत्र माना

(11) प्रकृति का अनुसरण :-

बालक की उम्र ग्रहण शक्ति एवं बौद्धिक क्षमता के अनुकूल हो उसे सिखाना प्रकृति का अनुसरण है।

[ब्लूम की टैक्सोनोमी]

Date: Page: Class-29 MONIKA 49

* ब्लूम की टैक्सोनोमी :-

1. बेन्जामिन ~~ब्लूम~~ ब्लूम यहूदी मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे।
2. उन्होंने अपने सहयोगियों क्रोथवेल और मेसिआ के साथ मिलकर शिक्षण के उद्देश्यों का एक विभाजन प्रस्तुत किया है जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनोमी या क्षेत्र, ब्लूम का त्रैमेन, ब्लूम का पक्ष के नाम से जानते है।
3. ब्लूम का यह विभाजन उनकी पुस्तक A Taxonomy of Educational objectives में प्रकाशित किया
4. इस टैक्सोनोमी में तीन पक्ष माने गये है —
   (1) संज्ञानात्मक पक्ष
   (2) भावात्मक पक्ष
   (3) क्रियात्मक पक्ष

(1) * संज्ञानात्मक पक्ष :- (Cognitive Domain)

1. यह पक्ष अकेले ब्लूम द्वारा 1956 में दिया गया था।
2. इस पक्ष में कुल 6 चरण आते है।
3. यह पक्ष विषयवस्तु की जानकारी होने से सम्बधित

6 चरण → उच्च कुशलता

(1) ज्ञान (Knowledge) - जानकारी का ज्ञान प्राप्त करना
(2) बोध (Understanding) - जानकारी का अर्थ समझना
(3) अनुप्रयोग (Application) - जानकारी को प्रयोग में लाना
(4) विश्लेषण (Analysis) - जानकारी के विभिन्न अंगों को समझना
(5) संश्लेषण (Synthesis) - ~~सम्पूर्ण~~ सम्पूर्ण आकृति जानना (सभी भागों को मिलाना)
(6) मूल्यांकन (Evaluation) - जानकारी सही है या गलत (मूल्यांकन) सीखी गयी जानकारी के गुण दोष जानना

Note 2001 में ब्लूम के शिष्यों एण्डरसन और क्राथवेल ने ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में कुछ परिवर्तन किया जिसे हम ब्लूम की "रिवाइज्ड टैक्सोनोमी" कहते है इसके भी लगभग 6 चरण है

Date: Page: MONIKA

रिवाइज्ड टैक्सॉनोमी 6 चरण :-

(1) जानना (Knowing) - कुत्ते के 4 पैर होते है जानना
(2) समझना (Understanding) - 4 पैर देखकर समझाना
(3) उपयोग में लाना (Applying) - उपयोग में लाना (Quality Value)
(4) विश्लेषण करना (Analysing) - विभिन्न अंगों का विश्लेषण
(5) मूल्यांकन करना (Evaluating) - गुण या दोष
(6) रचना करना (Creative) - कुत्ते की चार पैर देखकर बिल्ली के चार पैर देखकर ज्ञान की रचना करना

(2)* भावात्मक पक्ष :- (Affective Domain)

1. यह पक्ष 1964 में ब्लूम, क्रॉथवेल, और मैसिआ द्वारा दिया गया।
2. इस पक्ष का प्रयोग जानने के साथ-2 जानकारी को महसूस करने या भावात्मक प्रतिक्रिया देने से जुड़ा है।
3. इस पक्ष में कुल 5 चरण है। जो निम्न लिखित है —

5 चरण :-

(1) आग्रहण (Recieving) - सूचना प्राप्त करना
(2) प्रतिक्रिया (Responding) - भावात्मक प्रतिक्रिया देना
(3) मूल्य निर्माण (Valuing) - सूचना से सीखना
(4) संगठन (Organising) - इसे अपनी जीवन शैली में ढालना
(5) चरित्रीकरण विभेदीकरण (Characterizing) स्व भाव का हिस्सा बना लेना

(3)* मनोक्रियात्मक पक्ष :- (Psychomotor Domain)

1. इस पक्ष का ब्लूम ने सिर्फ नामकरण किया लेकिन उन्होंने इसके चरण नहीं बनाये।
2. इसके चरण (1969) में उनके एक शिष्य "सिम्पसन" द्वारा बनाये गये
3. लेकिन सिम्पसन के द्वारा बनाये गये चरणों को लोकप्रियता नहीं मिल सकी इस लिए अलग-2 देशों ने अपने शुद्ध के चरण बना लिए है भारत में हम 'डॉ. दवे' के चरणों को स्वीकार करते है।
4. इस पक्ष में कौशल सीखे जाते है।

Date: Page: MONIKA (51)

प्रो० दबे (चरण) :-

(1) उद्दीपन (Stimulation) - प्रेरक (सिखाने वाला)
(2) अनुकरण (Imitation) - कौशल का अनुकरण (खुद से या देखकर)
(3) क्रियान्वयन (Execution) - अनुकरण का क्रियान्वयन
(4) परिशुद्धता (Accuracy) - गलतियां कम करके सही तरीके को सीखना
(5) संतुलन (Equilibrium) - विभिन्न में संतुलन बनाना
(6) स्वचालन (Automation) - खुद का तरीका विकसित करना
(7) आदत निर्माण (Habit formation) कौशल सीख लेना

(5 चरण) मुख्य

Name - SATYAM KUMAR
You Tube Channel - STET-Aspirant-SATYAM
Address - AORA (Uttar Pradesh)

NOTE BOOK
CLASSIC YELLOW PAGES